घरेलू हिंसा पर विशेष

संगिनी

वर्ष : 2 अंक : 1 | मार्च–अप्रैल 2004 | सीमित वितरण हेतु

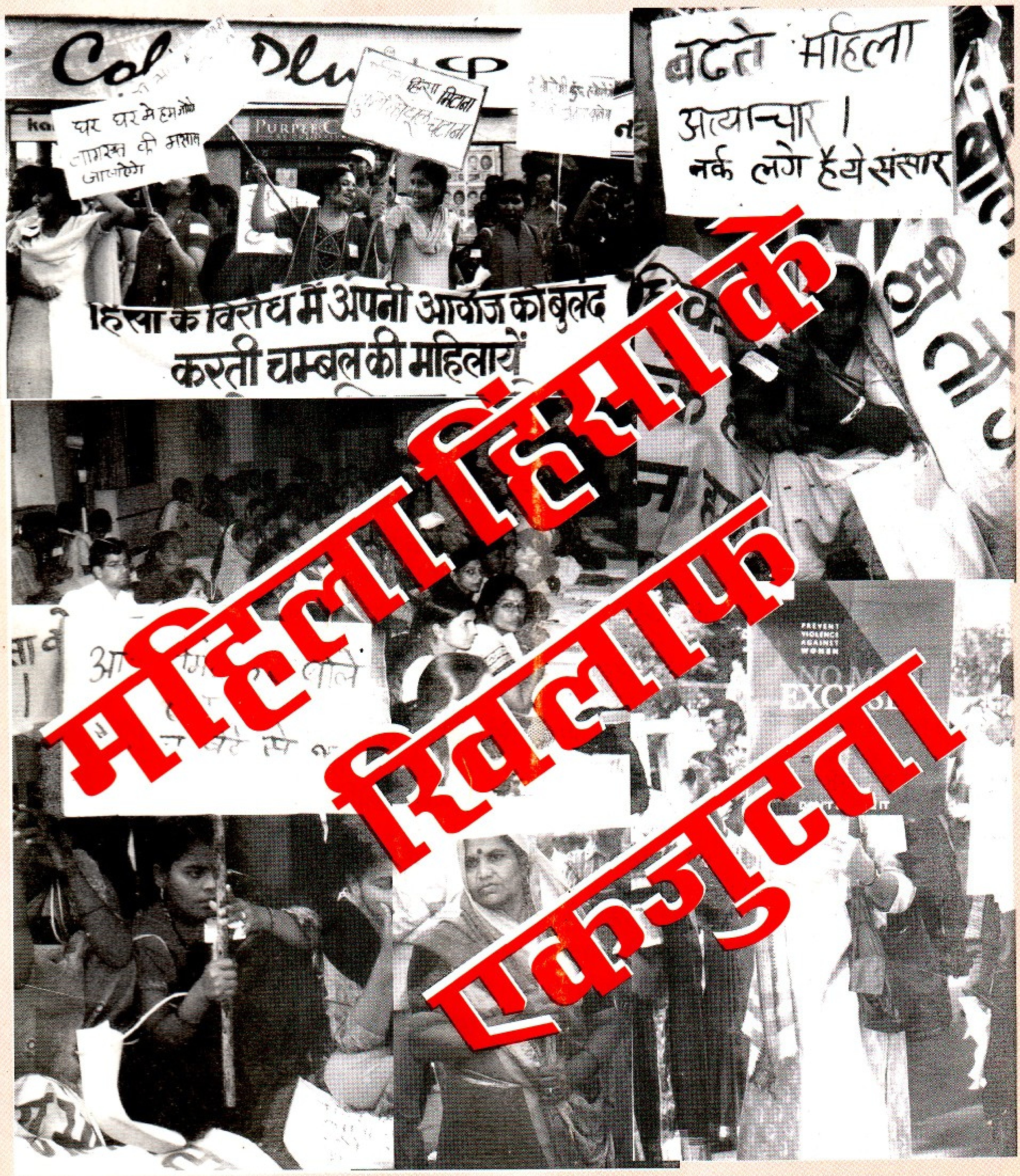

परिचर्चा

घरेलू हिंसा के खिलाफ लोहा लेना होगा

◆ सत्या राठौर

महिला चेतना मंच से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री कुसुम अरोन्देकर का

मानना है कि पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था ने पुरूष के अहंकार को सदैव ही पोषित किया है, स्त्री को देवी के रूप में कागजों पर और मंदिरों में तो स्वीकारा गया लेकिन मां पत्नी बहन, बेटी सभी रूप में उसका तिरस्कार किया गया है। चौखट से निकलकर स्त्री बहन बेटी के रूप में होती ही नहीं है। स्त्री को केवल एक भोग्या वस्तु समझकर निरख, परख की जाती है। गली चौराहे पर, दफ्तरों में उस पर अश्लील फब्तियां कसी जाती है। उसका नाम किसी न किसी के साथ जोड़कर बदनाम बनाम किया जाता है। यहां तक कि आज वह अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। न जाने कितनी अबोध बालिकाएं और महिलाएं भाई या पिता द्वारा बलात्कार की शिकार हुई है। इस समाज ने सीता को भी नहीं छोड़ा द्रोपदी का चीर हरण परिवार वालों के बीच ही तो हुआ था। तो ऐसी मान्यताओं और परंपराओं के बीच महिला कहां तक सुरक्षित है। महिलाओं को सुरक्षा की दरकार पुरूष मानसिकता की संकीर्णता से ही है। हर घर में जब तक एक लक्ष्मीबाई और अहिल्या बाई पैदा नहीं होगी तब तक वह हिंसा का शिकार होती रहेगी और उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ती रहेगी।

भोपाल की महापौर श्रीमती विभा पटेल : के अनुसार सशक्तिकरण

तभी संभव है जब महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त बने। उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आए। उन्हें स्वविवेक से निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन आज भी महिलाओं के प्रति समाज और परिवार का नजरिया वही दकियानूसी और रूढ़ि भरा है। बेटा अपना कैरियर चुनने के लिए स्वतंत्र है लेकिन बेटी को आज भी अपने बारे में कोई फैसला लेने के लिए घर के और लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा लिंग भेदभाव क्यों ? यह भी एक छुपी हुई हिंसा है जो अनजाने में माता–पिता करते रहते हैं। समाज में महिलाओं का स्थान दूसरे दर्जे का है। पहली पंक्ति में तो पुरूष ही खड़ा है। पुरूष मानसिकता के कारण ही आज तक महिलाओं को संसद व विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाया। अधिकतर महिलाओं में विरोध करने की प्रवृत्ति का अभाव है। जब महिलाएं अत्याचार, हिंसा और पारिवारिक लिंग भेदभाव का खुलकर विरोध करने लगेंगी तो वे स्वयं सशक्त बन जाएंगी और स्वयं निर्णय लेना भी सीख जाएंगी।

डॉ. नुसरत बानो रूही

म.प्र. भारतीय महिला फेडरेशन की अध्यक्ष नुसरत बानो कहती है कि समाज में और परिवार में आज भी महिलाओं के प्रति दोयम दर्जे का नजरिया है। घर में लड़की को छोटे से छोटा निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। खासकर मुस्लिम समाज में तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। पुरूष द्वारा केवल तीन बार तलाक–तलाक कहकर उसे छोड़ दिया जाता है। मुस्लिम पुरूष चार–चार शादियां कर लेते हैं और उसके बच्चे पालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। पति द्वारा पत्नी को छोड़े जाने पर खर्चा पानी भी नहीं दिया जाता है। यह मुस्लिम समाज की वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी चलन है जो मुस्लिम महिलाओं पर कहर बरसता है। परिवार में महिलाओं को नजाकत में रहना सिखाया जाता है जबकि पुरूष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि मुस्लिमों में फैमली

संगिनी

अप्रैल–जून वर्ष–2, अंक–2

सम्पादक मण्डल
प्रार्थना मिश्रा,
नीति दीवान,
रंजना,
सत्या राठौर,
नीता
विशाल दुबे,

संकलन
सत्या राठौर

कम्पोजिंग
छाया रोकड़े

संगिनी
ई–6/127, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल–462016
फोन : 0755–5276158
फेक्स : 0755 – 2466920
ई मेल : sangini_center@yahoo.com

- संगिनी की कलम से 1
- घरेलू हिंसा क्या आपका निजी मामला है............ 2
- बढ़ती भ्रूण हत्या जिम्मेदार कौन 4
- घरेलू हिंसा : ग्रामीण स्त्रियां 6
- घरेलू हिंसा के खिलाफ लोहा लेना होगा............ 8
- न्याय के इंतजार में 9
- समस्याओं से ग्रस्त है (परिवार परामर्श केन्द्र) 11
- इंसाफ की तलाश में 12
- म.प्र. में महिलाओं पर हिंसा
- पीड़ितों की सुनवाई नहीं 13
- औरत की जिन्दगी 14
- घरेलू हिंसा के खिलाफ 15
- कहीं आप घरेलू हिंसा तो नहीं सह रहीं 16
- घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 19
- हिंसा की कुछ घटनाएं 22
- गलती किसकी 23

अपनी बात ....

महिलाओं की परिस्थिति को हमेशा से ही समाज के व्यापक ताने बाने में उपेक्षा की नजर से देखा गया हैं व्यापक सामाजिक प्रश्नों के दायरे में जब कभी भी बात होती है तो महिलाओं की समस्याओं को दोयम प्राथमिकता पर ही देखा जाता रहा है।

महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के उपचार के लिए जो कुछ प्रशासकीय पहल भी की गयी हैं उनकी स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। परामर्श केन्द्रों पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव , महिला थानों की बदहाली, न्यायालयों की लंबी अंतहीन प्रक्रिया पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में एक मात्र उम्मीद की किरण यही बचती है कि समाज के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए और उसकी संवेदनशीलता इन मुद्दों पर बनायी जाए। सामाजिक पहल , जागरुकता व दबाव ही घरेलू हिंसा को रोकने का एक कारगार कदम हो सकता है। इसलिए उसकी संवेदनशीलता पर पहले ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक हैं।

''संगिनी'' का यह अंक महिलाओं की उन स्थितियों की विवेचना करता है जहाँ घर के अन्दर महिलाओं पर हिंसा होती है और समाज उसे पारिवारिक मामला बता कर चुप्पी साध लेता है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक देश में उन पर विधेयक या बिल भी बनाने को कोई गंभीरता से नहीं लेता। घरेलू हिंसा पर बना एक बिल लम्बें समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

संगिनी के इस अंक में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के बारें में समाज की कुछ महिलाओं की बातचीत दी जा रही है। साथ ही कुछ एक घटनाएं इस उद्देश्य से दी जा रही हैं कि कम से कम इन प्रतिदर्शो के आधार पर ही सही घरेलू हिंसा का एक चित्र समाज में जाए तो शायद लोगों को इसकी भयावहता के बारें में एहसास हो।

आशा है यह अंक अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। सीमित संसाधनो तथा क्षमताओं के आधार पर हमारी यह कोशिश यदि कुछ नयी जानकारियां आपको दे पायी या आपकी संवेदना को छुए तो हम इसे सार्थक मानेगें। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं जिससे ''संगिनी'' को महिला विकास के मुद्दों तथा जेण्डर समानता के लिए ज्यादा प्रभावी उपकरण के रुप में हम प्रस्तुत कर पाएं। इसी अपेक्षा के साथ......

प्रार्थना मिश्रा

घरेलू हिंसा क्या आपका निजी मामला है ?

• नीलम कुलश्रेष्ठ

समाज में महिलाओं पर हो रही हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहीं हैं, ये घटनाएं भले ही हमारे पास पड़ोस की हो या टेलीविजन, अखबार के माध्यम से पता चलें। इसके बावजूद ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले तो घर के बाहर ही नहीं आ पाते। हम तक तो वह मामले आते हैं जो दर्ज किये गये हों। घरेलू हिंसा को घर के भीतर का या व्यक्ति का निजी मामला माना जाता है।

औरतों के साथ हो रही हिंसा की स्थिति पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में औरतों को दबाकर रखने की मानसिकता का हिंसात्मक प्रदर्शन है। जहां यह माना जाता है कि महिलायें उनकी पूंजी है और वे जब चाहें जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

हिंसा क्या हैं

औरतों के साथ हिंसा – चाहे वह बलात्कार हो, किसी और तरह की चोट पहुंचाना हो, मार पिटाई, दहेज के लिए सताना, जबर्दस्ती घेर कर बन्द रखना हो या धमकाना हो–एक हिंसा है जिसके लिए कानून के मुताबिक सजा हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर

- घरेलू हिंसा के तहत पति का पत्नी के प्रति क्रुर व्यवहार के साथ–साथ माता–पिता, बेटा–बेटी, सास–ससुर के साथ भी हिंसात्मक व्यवहार व प्रतिक्रियाएं शामिल हैं।
- हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व कई तरह की होती है। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।
- घरों में बेटा–बेटी के साथ भेदभाव भी हिंसा का वृहद स्वरूप है।
- महिलाओं की सेहत खराब होने पर इलाज न करवाना, पुत्र की चाह में कन्या भ्रूण हत्या के लिये महिला के ऊपर दबाव बनाना भी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी तरह पुरूषों द्वारा महिलाओं के प्रजनन पर नियंत्रण व संपत्ति का अधिकार न देना अभिव्यक्ति और गतिशीलता पर नियंत्रण भी हिंसा को दर्शाता है।

> औरतों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ बहुत सारे संगठन, स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत है जोकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनकी आवाज को बल दे उनका साथ और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रतिकार करें। तभी सामने होगी एक हिंसा रहित नई दुनिया।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिये घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है।

तमाम सारे महिला आंदोलनों ने लंबे संघर्ष के पश्चात महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिये कानूनों में परिवर्तन करवायें हैं। कहीं–कहीं महिला थाने, महिला आयोग, परिवार परामर्श केन्द्र आदि का भी गठन किया गया है।

ज्यादातार महिलाएं भी हिंसा का इसलिए विरोध नहीं करती कि उन्हें लगता है यदि उन्होंने विरोध किया तो घर से बाहर निकाल दी जायेंगी। इसके बाद उन्हें कौन सहारा देगा। यही विकल्प न होने के कारण वे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी घरेलू हिंसा को बर्दास्त करती रहती हैं।

हिंसा के व्यापक प्रभाव –

- हिंसा महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है।
- हिंसा औरतों के काम, उनके जीवन स्तर, उनके पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करती है जिसका असर उनके अपने बच्चों पर भी बुरी तरह पड़ता है।
- दहेज के कारण लगातार हो रही हत्याएं, आत्महत्या का प्रमुख कारण परिवार में होने वाली हिंसा है। कई बार महिलाएं हिंसा की वजह से दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिये मजबूर होती हैं तथा

मनोरोगों का शिकार होती हैं।

क्या कर सकता है कानून ?

दिल्ली में कार्यरत संस्था "लायर्स कलेक्टिव के अनुसार 'कानून स्त्रियों की हिंसा से हिफाजत दो तरह से करता है। पहले वह कुछ ऐसे हक देता है जिसमें औरत को अपना और अपनी संपत्ति का बचाव करने के लिये राज्य की शक्ति इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इसका एक उदाहरण है वैवाहिक घर में रहने का अधिकार, तलाक के जरिये हिंसा करने वाले पति को छोड़ने का अधिकार। दूसरा ऐसा व्यवहार जो गलत माना जाता है उसके लिये कानून में सजा का प्रावधान है। इसके पीछे यह विचार है कि बार–बार ऐसा व्यवहार करने से रोका जा सकता है पर यह तो साफ है कि अपराधी को ऐसा व्यवहार करने की तभी हिम्मत न होगी जब कानून लागू हो और अपराध करने से पहले वह यह माने कि उसे सजा हो सकती है। इसी बात को दूसरे तरीके से समझे तो यह जरूरी है कि अपराधी पुरूषों को सजा दिलवाने में औरतें पीछे न हटें। किसी ऐसे आदमी पर मुकदमा न चलाने से चाहे आपने उस आदमी से प्यार भी किया हो–औरतों के साथ ज्यादतियों को बढ़ावा मिलता है।'

कानून में औरतों को दो तरीके से राहत और हिफाजत दी जाती है **दीवानी उपाय** – जो ज्यादातर वकीलों की सहायता से मिल सकता है जैसे वैवाहिक घर में रहने का अधिकार, हिंसात्मक पति से अलग रहने का अधिकार और घरेलू हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार।

फौजदारी उपाय – जैसे मुकदमा दायर करना, गहरी चोट पहुंचाना, क्रुरता और गलत तरीके से कैद रखने के लिये जुर्माना या सजा।

हिंसा के प्रति सामाजिक और कानूनी संवेदनहीनता

घरेलू हिंसा को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। हालांकि 498 ए के तहत काफी अधिकार हैं पर पुलिस की संवेदनशीलता व मानसिकता में बदलाव नहीं आया है।

- अभी भी घरेलू हिंसा के मामले में कई बार एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। रोज नामचे में लिखा जाता है।
- गांव में औरतों को एफ.आई.आर. की नकल नहीं देते। मांगने पर भी दिक्कत होती है। आंकड़े बढ़ जायेंगे इस कारण केस दर्ज नहीं करते।
- पति द्वारा पीटने या मानसिक यन्त्रणा देने को पुलिस बड़ा मुद्दा नहीं मानती। अक्सर कहती है पति ने ही तो पीटा है ऐसी क्या खास बात हो गई। पति मारता है तो प्यार भी तो करता है यह कहकर मामला टाल दिया जाता है।
- शारीरिक चोट दिखाई नहीं देती तो वह उसे गंभीरता से नहीं लेती है।
- 498 ए के मामले में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती हैं। समझौता करा देती हैं। समझौते की भाषा ऐसी होती है कि औरत उसमें झूठी नजर आती है। न तो इस समझौतों में घटना का ब्यौरा होता है और न ही पति द्वारा यह लिखाया जाता है कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।
- थाना स्तर पर संवेदनशील लोग नहीं है।
- 498 ए औरत को प्रताड़ना से बचाने के लिए बना कानून है पर पुलिस उसमें कई बार दहेज को अवश्य डलवाती है उससे केस कमजोर हो जाता है।
- अधिकतर मामले झूठे होते हैं।
- समाज की जाति पंचायतों में घरेलू हिंसा के मामले को संवेदनशीलता से नहीं लिया जाता।

क्या करें जब हिंसा हो ?

अगर आप पर हिंसा हुई है तो उसका सबूत रखना होगा ताकि कानूनी कार्यवाही में उसका उपयोग कर सके। इसलिए तत्काल मेडिकल परीक्षण करवायें।

यदि आपके शरीर पर हिंसा के दौरान चोट का निशान आया है तो इसका फोटो खिचवायें।

हिसा के दौरान जो कपड़े पहने थे उसे सुरक्षित रखें।

शादी के समय का कोई सबूत जैसे फोटो ग्राफ, प्रमाण पत्र तथा कार्ड सुरक्षित रखें।

हिंसा की शिकार महिला क्या करें

वे महिलाएं जिन्हें लगता है कि उन पर हिंसा की जा रही है जो उनको को चोट पहुंचा सकती है तो ऐसी जगह से निकलकर अपने परिवार, मित्र या पास पड़ोस अथवा महिलाओं के किसी आश्रम में शरण ले सकते हैं।

हिंसा होने पर यहां सम्पर्क करें।

+ महिला संगठन
+ राज्य महिला आयोग
+ राष्ट्रीय महिला आयोग
+ महिला पुलिस थाना
+ परिवार परामर्श केन्द्र
+ राज्य मानव अधिकार आयोग

□□□

बढ़ती भ्रूण हत्या, गिरती महिलाओं की संख्या जिम्मेदार कौन ?

◆ एन. सिंह राज

देश में बढ़ती जनसंख्या और इसमें महिलाओं की घटती आबादी, सभी बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। समाज में बढ़ता पुत्र प्रेम, और वंशवाद को बढ़ावा देने के चलते दिन प्रतिदिन अनेक अजन्मी लड़कियों को पेट में ही दम तोड़ना पड़ रहा है।

स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई जनगणना में पुरूष महिला अनुपात सामान्यतः पहले जैसा ही रहा। तब एक हजार पुरूषों पर भारत में 976 महिलाएं थी। 1961 में यह संख्या घटकर 964 रह गयी। वही 1971 में इस संख्या में कुछ और कमी आयी और 1000 पुरूषों पर 962 महिलाएं ही रह गयी। लेकिन 80 दशक में इसमें सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गयी और 1981 की जनगणना में एक हजार पुरूषों पर महज 945 महिलाएं ही रह गयी। 1980 के बाद देश में अल्ट्रासाउंड मशीनों का चलन शुरू हुआ। कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा शुरू हो गयी। परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने लगी। 1991 की जनगणना में महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरूषों पर घटकर 927 ही रह गयी।

सामाजिक, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस गिरते अनुपात पर जब हो–हल्ला मचाया गया तब आकर कहीं सरकार को होश आया और उसने 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियोग एवं दुरूपयोग निवारण कानून जिसमें

- भ्रूण हत्या से स्त्री पुरूष का अनुपात बिगड़ा।
- भारत में केरल एवं तामिलनाडु ही ऐसे राज्य है जहां प्रति हजार पुरूषों पर 58 महिलाएं अधिक हैं।
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये स्त्री शिक्षा का उचित प्रचार–प्रसार जरूरी।
- मौजूदा भ्रूण हत्या कानून को और मजबूत बनाया जाये जिससे बालिका भ्रूण हत्या को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में लिंग परीक्षण किये जाने को अपराध घोषित किया। लेकिन यह कानून भी प्रभावी नहीं रहा। 2001 की जनगणना में मामूली बढ़त दर्ज की गयी। यानी आंकड़ा 927 से बढ़कर 933 हो गया परन्तु लेकिन यह मामूली बढ़त भी खुश होने वाली नहीं थी क्योंकि पंजाब और हरियाणा में यह अनुपात 900 से भी नीचे जा पहुंचा है।

ताजा आंकड़ों से स्पष्ट है कि समाज में लड़की को बराबरी का दर्जा मिलने के पीछे शिक्षा का व्यापक प्रसार जरूरी है। शिक्षा से ही महिला अधिकारिता का झण्डा बुलंद होता है। शायद यही वजह है कि आज एक मात्र केरल में पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक है। यहां प्रति हजार पुरूषों पर 1058 महिलाएं है। 1991 की जनगणना में यह संख्या 1036 थी यानि निरन्तर वहां अनुपात स्त्री–पुरूष सुधर रहा है। केन्द्र शासित राज्य पांडिचेरी में भी महिलाओं की संख्या 1001 है। तमिलनाडु में भी स्त्री पुरूष का अनुपात सुधर रहा है। वहां यह संख्या 986 तक पहुंच गयी है। बेहतर तो यही है कि शिक्षा का प्रचार–प्रसार

बढ़े और भ्रूण हत्या के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त बनाया जाये। पुरूष महिला के इस घटते अनुपात के लिए दो प्रमुख कारण जिम्मेदार है। एक आज भी देश में करोड़ो लोग ऐसे है जो शिक्षित नहीं है तथा छोटे – मोटे कृषि कार्य कर मेहनत मजदूरी के बदले अपनी आजीविका चलाते है। इन लोगों में पुत्र की चाहत होती है क्योंकि उन्हें सबसे पहले चिंता सताती है कि जब वह बूढ़े हो जायेंगे तो उनकी देखरेख कौन करेगा। नीति निर्माता स्त्री पुरूष के घटते अनुपात पर चिंता तो जता रहे हैं परन्तु इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं। आज तक ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नहीं कर पायी। कितना अच्छा हो अगर सरकार एक ऐसी योजना शुरू करे कि जिस दपंति की सिर्फ दो ही पुत्रियां हो और उनके पास कोई पक्की आय या पेंशन नहीं है तो साठ साल के बाद सरकार उनकी देखरेख का जिम्मा लेगी। सरकार की ऐसी कोई ठोस पहल इस समस्या के निदान में एक कदम हो सकती है। पहल करें तो कम से कम इस वर्ग से इस समस्या से मुक्ति दिलायी जा सकती है। ऐसी योजना पर दो वर्ष में होने वाला खर्च एक मध्यावधि चुनाव के खर्च से अधिक नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दहेज का बढ़ता दानव, होना यह चाहिए कि शादी के समय किसी भी रूप में दहेज देना अपराध माना जाये या फिर चुनाव खर्च की तरह विवाह खर्च की सीमा को भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय किया जाना चाहिए।

ग्वालियर चंबल संभाग में स्त्री–पुरूष अनुपात

कन्या भ्रूण हत्या के मामले में म.प्र. का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

सन	1991	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001
म.प्र.	967	941	947	946	945	932	920	921	912	920
ग्वालियर	861	822	834	853	885	853	834	844	831	847
मुरैना	843	819	823	830	832	831	822	817	808	822
दतिया	935	922	912	914	912	903	882	854	847	858
शिवपुरी	912	892	899	903	908	888	864	855	849	858
गुना	918	908	901	905	919	899	884	882	875	885
भिण्ड	851	835	835	839	843	849	834	827	816	829

केन्द्र सरकार ने पी.एन.डी.टी. कानून में हाल में जो संशोधन किये गये वह काफी नहीं है। यह कानून दोनों पक्षों में डर पैदा करने वाला नहीं है। होता यह है कि परिवार के सदस्य गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु का लिंग जांच के लिए प्रेरित करते हैं। कानून में यह भी प्रावधान होता है कि लिंग जांच का प्रस्ताव देने वाली महिला या उसके परिजन के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्यवाही होगी जितनी लिंग जांच करने वाले डाक्टर के खिलाफ तो इस कानून का ज्यादा असर होता। हालांकि ऐसा करना महिला के साथ ज्यादती होगी लेकिन कानून का डर दोनों पक्षों में होना चाहिए। लिंग जांच करने के दोषी पाये गये तीन सौ से अधिक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के खिलाफ एक साल में कार्रवाई की गयी है। लेकिन इनके संचालकों ने जो कारण बताया जिसका कोई माकूल जवाब कानून के पास भी नहीं है। मसलन एक डाक्टर ने पुलिस को बताया कि वह अमुक महिला के गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच करने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि उस महिला की पहले ही तीन लड़कियां थी अब वह चाहती है कि उसे बेटा हो। दूसरे एक डाक्टर ने तर्क दिया कि उसने सिर्फ ऐसी गर्भस्थ महिला का लिंग जांच की जिनकी पहले से एक या दो लड़की थी। वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत लाये जाने की मांग होने लगी है। निश्चित रूप से मौजूदा कानून को और कड़ा बनाना होगा और साथ ही सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिससे बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगे। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बनती बल्कि परिवारों को भी चेतना होगा और बेटी को देना होगा अधिकार और महत्व तभी हम सही मायनों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सफल हो सकेंगे। ❑❑❑

चुप रहकर सहती है घरेलू हिंसा: ग्रामीण स्त्रियां

◆ शैलेन्द्र शर्मा

गांव में लड़कियां पढ़ लिख जरूर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो रही है। शादी करने वाला पुरूष या तो अनपढ़ होता हैं या कम पढ़ा लिखा। इस पर भी इन पुरूषों की उम्र लड़कियों से 5 से 10 वर्ष अधिक होती है,जो उनके भविष्य की कौन सी दिशा निर्धारित करता है आप सोच सकते हैं...

10वीं पास अलका की शादी चौथी कक्षा पास महेश से कर दी गई। महेश लगभग 26 वर्ष का हट्टा खट्टा मर्द है जो खेती का काम करता है। अलका की जब शादी हुई थी तो उसने भी अपनी गृहस्थी के सपने संजोये थे, लेकिन सास–ससुर एवं देवर की बदसलूकियों एवं मारपीट ने उसके सभी सपनों को चूर–चूर कर दिया।

अब अलका के तीन बच्चे है जिनको अलका ही संभालती है, चौथा बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है। वह घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, झांडू लगाना, मवेशियों को खेत से चारा लाना उसे मशीन में काटना और मवेशियों को खिलाना, बर्तन साफ करना जब कभी भी अलका पति, सास ससुर की किसी बात को नहीं मानती तो उसे पति एवं देवर के हाथों बेरहमी से पीटा जाता है। सास तरह तरह के ताने मारती है। पति रात में उसके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करता है। अलका सब कुछ बिना कुछ कहे सहती रहती है। दिन से रात, और रात से दिन कब हो जाता है अलका को पता ही नहीं चलता।

ऐसी स्थिति केवल अलका की ही नहीं है। बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 90 प्रतिशत महिलाओं की है।

उन्हें हर पल किसी न किसी प्रकार घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है जिसे ग्रामीण जन हिंसा नहीं मानते। भारतीय इतिहास में नारी को देवी और त्याग की मूर्ति का दर्जा दिया गया है। वक्त के साथ संस्कृति में देवी एवं त्याग की मूर्ति माने जाने वाली इस नारी को बहुत यातानाओं, शोषण का शिकार होना पड़ा व पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण स्त्री की स्थिति तो और भी खराब है। ग्रामीण स्त्री को काम के बोझ के साथ साथ घरेलू हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। गांव में लड़कियां पढ़ लिख जरूर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शादियां 18 वर्ष से पहले हो रही है। वह पुरूष या तो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे। इस पर भी इन पुरूषों की उम्र लड़कियों से 5 से 10 वर्ष अधिक होती है। शिक्षा से बदलाव तो आया लेकिन औरतों के लिए स्थिति तो पहले जैसी ही बनी हुई है। आज भी इन ग्रामीण महिलाओं को 6 से 8 बच्चों का बोझ ढोना पड़ता है क्योंकि परिवार और पुरूष की नियोजित परिवार के बारे में कोई सोच नहीं है।

हां!.. तू बोल और चिल्ला–चिल्लाकर कह मन में सदियों से दफ्न दबे कुचले अहसासों को बयान कर अपमानों को।।

प्लानिंग कामयाब नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ पुरूषों की चलती है। मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है तभी वे स्व विवेक से निर्णय ले सकेगी। तभी उनपर होने वाली हिंसा रूक सकेगी और इसके लिए सरकार, समाज और स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिये।

महिलाओं के प्रति ओछी और अश्लील हरकत को स्वयं महिला ही आगे बढ़ कर रोक सकती है। जब तक वे स्वयं अपना सम्मान करना नहीं सीखेंगी तब तक समाज में उपेक्षित होती रहेंगी। महिलाओं को **घरेलू हिंसा के खिलाफ खामोशी तोड़ना होगा।**

1100 क्वाटर्स भोपाल में रहने वाली गृहणी श्रीमती कहती हैं कि

परिवार में बेटी के प्रति भेदभाव हमारी पुरानी परंपरा और रूढ़ियों की देन है। हमारा समाज बिना सोचे समझे ऐसी कुरूतियों को निभाता चला आ रहा है। घर में गृहस्थी के सभी कार्य करना, महिला की जिम्मेदारी होती है। उसे बार–बार यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि चुप रहो तुम लड़की हो। लड़की को लड़कों की तुलना में सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

यह भी एक प्रकार का हिंसा है जो महिलाओं को खुद आगे बढ़कर ऐसी परंपरा और मान्यताओं को तोड़ना और खुलकर सामाजिक और पारिवारिक हिंसा का प्रतिकार करना होगा। इसके लिए महिला का सबसे पहला कदम शिक्षित होना है। शिक्षित होकर वह आत्मनिर्भर बन सकती है। आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की शक्ति पैदा करती है।

महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स होस्टल की पूर्व मेट्रन *श्रीमती विजया देशपांडे, ताईजी*

कहती है कि पारिवारिक और सामाजिक हिंसा को रोकने में शिक्षा ही एक कारगर उपाय है। महिला शिक्षित होगी तो वह सही गलत में फर्क समझ पाएगी और वह बुराइयों के प्रति लड़ाई लड़ सकेगी। यह जंग केवल बुद्धि और ज्ञान के बूते ही जीती जा सकती है।

वर्तमान में भी हजारों लड़कियां दहेज की बलिवेदी पर भेट चढ़ जाती है। ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। घर में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इसका कारण भी यह है कि माता–पिता सोचते हैं कि बेटी को तो ससुराल जाना है फिर हम क्यों उसके ऊपर इतना खर्च करें। इसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था दहेज लेने की प्रथा को ही खत्म कर देना है और इसके लिए खुद लड़कियों को आगे आना होगा उन्हें ऐसे पुरुषों से विवाह के लिए ना करना होगा जो दहेज की मांग करता है। तभी परिवार में बेटी के प्रति भेदभाव का नजरिया बदलेगा।

सुश्री शफीका फरद हास्य लेखिका शफीका फरद हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी है। कहती है आज

पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा उन्हें बिना सहारे के यह जंग लड़नी होगी। परिवार में बेटी के प्रति भेदभाव हमारे प्रचलन में शामिल हो गया है। ऐसे प्रचलन को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। तभी हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह सकेगी। बेटी को बेटी होने के कारण कोख में ही पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इस जुर्म में महिला बराबर की शरीक नहीं होती है। महिला को दृढ़ बनने की जरूरत है।

आखिर कब तक पुरूष के दबाव में आकर महिलायें भ्रूण हत्या करवाती रहेगी और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षति करती रहेगी। महिलाओं को खुद अपने बारे में सोचने की जरूरत है। स्वयं की गरिमा और सम्मान बचाने के लिए उसे केवल समाज में ही नहीं अपनों से ही प्रतिकार करना होगा।

□□□

अंधेरों की अदालत में है क्या फरियाद का फायदा, तू कर संग्राम ऐ साथी की, जब तक रात बाकी है।।

न्याय के इंतजार में मासूम की पथराई आँखें

◆ उमा चतुर्वेदी

शान्ति का टापू माने जाने वाले मध्यप्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं। इनके तहत प्रशासन का रवैया उदासीन ही रहता है। एक्का-दुक्का मामलों में जब मीडिया या राजनीतिक दलों द्वारा शोर मचाया जाता है तो खानापूर्ति कर ली जाती है।

महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, छीना झपटी यहां तक की हत्या भी रोज की घटना हो गयी है।

महिला नीति, महिला आयोग, हर जिले में विशेष महिला थानों के होते हुए भी अपने प्रदेश का यह चित्र चिन्ताजनक है।

ऐसे में विकल्प यही दिखता है कि समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बारे में संवेदनशीलता बढ़ायी जाए। ऐसी ही एक घटना शिवपुरी जिले की, 13 वर्षीय एक अबोध बालिका को उस अपराध की अनगिनत और अंतहीन सजायें भुगतनी पड़ रही है जो किसी और ने उसके साथ किया। खरौना गांव की यह बालिका गांव के आश्रम के साधुओं की हवस का शिकार बनी फिर समाज के दबाव में उसे ही घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। घटना कुछ इस प्रकार घटी।

खास रिपोर्ट

प्रशासन द्वारा किये गये वादें

- गरीबी रेखा का कार्ड बनवाऐंगा।
- कुटीर की भी मॉग करेंगी।
- खेती हेतु भूमि दिलवाऐंगी।
- महिलाओं से सम्बंधित कार्यों पर प्रशिक्षण भी दिलवाऐंगी।
- आखों के इलाज और अन्य प्राथमिक उपचार।

खरौना गांव का घुमन सिंह लोधी अपनी गुजर बसर के लिये मौनी बाबा रामदास की 19 बीघा जमीन पर बटाई करता है। मौनी बाबा और उसके चेले चपाटियों के खाने पीने का इंतजाम घुमनसिंह के ही घर से होता है आमतौर पर घुमन सिंह की पत्नी ही आश्रम में खाना देने जाती थी, लेकिन तीन महीने पहले प्रसूति का समय नजदीक होने के कारण वह जिम्मेदारी उसकी बिटिया के सर आन पड़ी।

एक रोज मौनी बाबा का चेला बालक दास आश्रम में अकेला था खाना देने आई बालिका को देख उसके भीतर का शैतान जाग उठा और उसने उसे कोई नशीली वस्तु खिलाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला।

बालिका को जब होश आया तब उसे यह समझ में आया कि उसकी आबरू छिन चुकी है। इस डर से कि कहीं उसके परिवार की रोजी रोटी भी न छिन जाये, उसने मुंह बंद रखना बेहतर समझा। लेकिन दिन ब दिन

बढ़ते पेट ने आखिर राज खोल ही दिया। उसने जब मौनी बाबा से इस बारे में बात की, तो बाबा ने उसे एक दवा देकर कहा कि इसे पीने से सब ठीक हो जायेगा। यह तो बाद में मालूम हुआ कि वह दवा और कुछ नहीं धतूरे का घोल था। उसे पीते ही बालिका की तबीयत बिगड़ने लगी और उसका गर्भपात हो गया। लेकिन इसके साथ ही उसकी आखों की रोशनी भी जाती रही ।

इस बात का पता जब यहां के स्वयंसेवी संगठनों को चला तो उन्होंने घटना की जॉच की तथा मौनी बाबा और बालकदास के खिलाफ कई बैंठकें कर प्रशासन को पत्र दिया तथा मीडिया के माध्यम से भी इस घटना को उठाया गया। इतना सब होने पर पुलिस की नींद टूटी और घटना के पखवाड़े बाद बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस पूरे प्रकरण के बारे में **"संगिनी"** के क्षेत्रीय संगठन ने शिवपुरी कलेक्टर को बालिका की समुचित देखभाल और आर्थिक मदद की मांग के साथ एक ज्ञापन दिया था। जिसके जवाब में वहां की एसडीएम शशि कर्णावत ने आश्वासन दिया, कि पीड़ित बालिका का न केवल इलाज करवाया जायेगा बल्कि उसके परिवार को खेती के लिये जमीन भी दिलाई जायेगी। लेकिन प्रशासन का वायदा वायदा ही रहा और छह महीने गुजर जाने पर भी घुमन सिंह या उसकी बेटी को कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई। इस संदर्भ में महिला संगठनों ने गांव में लगातार लोगों से अपील की गई की वह ममता को न्याय दिलाये और इसी क्रम में एक आम सभा भी बुलाई गई जिसमें लोगों ने लिखित रूप से साधुओं की गलती को स्वीकारा और उनके सामाजिक बहिष्कार की बात की। परन्तु जैसे ही मौनी बाबा जमानत पर जेल से छूट कर आया तो वह फिर लोगों की धार्मिक आस्था ने अंधा रूप धारण कर लिया। जिसके बाद से वह

लगातार ममता व उसके परिवार वालों को बालक दास के साथ ममता की शादी कराने अथवा 40 हजार रूपये लेकर केस वापिस लेने, समझौता करने के बाध्य कर रहा है। आज उन्हीं गांव के लोगों ने साधुओं के बहकावे में उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की ठान ली है। जिसके कारण आज पूरे गांव की महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर प्रश्न चिन्ह है। ममता के परिवार में जीवन यापन हेतु कोई भी विकल्प नहीं बचा है क्योंकि उनके पास की सारी पूंजी व मेहनत न्याय की तलाश में भटकते हुये समाप्त हो चुकी है और वह भूख से मरने की कगार पर खड़े हैं।

आज भी वर्तमान में ममता को किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित रखने के लिये छतरपुर के 'नीड' नामक आश्रय केन्द्र में दाखिल किया गया है।

संगिनी संस्था तथा जनअधिकार मंच व अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग व जिला प्रशासन को लगातार ज्ञापन देने के बाद भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारा प्रशासन महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में इसी तरह चुप्पी बांधे रहेगा या फिर ममता की जाति की प्रतिनिधित्व करने वाली तथा मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी निष्क्रियता का यूं ही परिचय देती रहेंगी ?

□□□

स्वयं भी समस्याओं से ग्रस्त है परिवार परामर्श केन्द्र

◆ माधवी जोशी

महिलाओं को उनका अधिकार और न्याय दिलाने के लिये सरकार ने भले ही अनेक योजनायें बनाई हों लेकिन समाज पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। पुरूष द्वारा सताई गई महिला जब थाने पहुंचती है तो थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी उसे महिला थाने यह कहकर भेज देते हैं कि यह तो महिला से संबंधित प्रकरण है इसलिए महिला थाने जाओ और महिला थाना न अनेक प्रकरणों को समझे बिना फरियादी महिला को परिवार परामर्श केन्द्र पहुंचा देते हैं। यह केन्द्र मजबूर होता है दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने के लिये। लेकिन इस केन्द्र की कठोर कानूनी प्रक्रिया न होने के कारण दूसरा पक्ष इसका भरपूर लाभ उठाता है। वह नियत समय पर आना तो दूर नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। राजधानी के महिला थाने में ऊपरी तल पर परिवार परामर्श केन्द्र चलता है। इस केन्द्र में रोजाना एक समाज सेविका परामर्शदात्री और एक मुख्य आरक्षक समस्या को समझने के बाद उचित सलाह देती हैं।

प्रदेश भर में चलाये जा रहे इन परामर्श केन्द्रों में स्टाफ के नाम पर केवल एक आरक्षक ही उपलब्ध करवाया जाता है। इन केन्द्रों के पास न तो अपना कोष है न तो अन्य सुविधायें। फलस्वरूप परिवार परामर्श केन्द्र के परामर्शदाता दंपत्तियों के प्रकरण हल करने के बाद चाह कर भी देखने नहीं जा पाते कि वे किस हालत में हैं। सन् 2002 में तात्कालिक पुलिस महानिदेशक दिनेश जुगरान की पहल पर कुछ जिलों में मूल्यांकन करवाया गया था। जिसमें प्रमुखता से सभी परामर्श केन्द्रों ने यह प्रस्ताव दिया था कि उनके यहां स्टाफ की कमी है। कुछ पोस्ट भी उपलब्ध करवाई जाये। तथा दंपत्तियों की वास्तविक परिस्थितियों का निरीक्षण हेतु एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये। लेकिन इस मुल्यांकन के दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी प्रस्ताव अधर में ही लटका रह गया।

□□□

है हमारी बेटियां इंसाफ की तलाश में

◆ नीता

एक पिता ने अपनी ही बच्ची के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया। लेकिन उस बच्ची की साहसी मां ने नीडरतापूर्वक समाज और परिवार की परवाह किये बिना अपने ही दुराचारी पति को सजा दिलवायी। इस पूरे प्रकरण में चाइल्ड लाइन की खास भूमिका रही।

नीता उस दिन को याद करते हुये बताती हैं कि चाइल्ड लाइन वैसे तो सभी मुसीबत में फंसे बच्चों कि मदद करता है लेकिन दिनांक 6.11.03 को आया केस दिल दहलाने वाला था जिसमें पिता द्वारा अबोध बालिका पर किये गये शारीरिक अत्याचार, मां का पिता के खिलाफ अपने नन्हीं बच्ची को न्याय दिलवाने का साहस बरबस ही यह कहानी अपनी और खीच लेती है।

सुबह एक फोन चाइल्ड लाइन कार्यालय में आया। फोन करने वाले ने बताया कि संजय नगर झुग्गी बस्ती में कैलाश मगरे नामक एक व्यक्ति अपनी तीन वर्षीय मासूस बच्ची के साथ लगातार दुष्कृत्य करता है। उसने कहा आपकी मदद की आवश्यकता है। हम बच्ची कि मां को आपके पास भेज रहे हैं आप बच्ची कि मदद करें ? कुछ समय बाद बच्ची की मां अरूणा मगरे अपनी मां के साथ बच्ची (जया) को लेकर आई। अरूणा ने अपने पति के कुकृत्य के बारे में जो घटना बयान की वो इंसानियत की हद को पार करने वाली बहुत ही शर्मनाक घटना थी।

अरूणा ने बताया कि मेरा पति बच्ची को हमेशा अपने जनन अंग पर जबरदस्ती बिठाकर रखता था। जब उसे ऐसा करने को मना किया तो उसने उलटा मुझे ही डाटा और वह कहता था कि मेरी लड़की है मैं कैसे भी खिलाऊ तू कौन होती है मना करने वाली।

वह हर रात मुझे न जाने क्या खिला देता है कि मेरी नींद बहुत गहरी लग जाया करती थी। जब भी मैं सुबह उठती थी बच्ची पिता से चिपकी मिलती थी। जया का जांधिया भी एक तरफ उतरा मिलता था। हर दिन यही सब देखने को मिलता था। मुझे अपने पति पर शक था कि जरूर यह जया के साथ गलत हरकत करता है। सुबह जया अपने गुप्त अंगों में दर्द कि शिकायत भी किया करती थी।

अरुणा बताती है कि उस दिन की घटना तो मेरे होश ही उड़ गये जब मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने गई मुझे रास्ते में एहसास हुआ कि घर में जया पिता के साथ अकेली है, पता नहीं वह क्या हरकत करें। मैंने अपने बेटे को आधे रास्ते में अकेले ही जाने को कह दिया मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और जब मैंने खिड़की में से झांका, तो देखा कि कैलाश मेरी बेटी के साथ दुष्कृत्य कर रहा था। मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कैलाश ने दरवाजा खोला, जब मैंने कैलाश से दुष्कृत्य के बारे में पूछा तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा अगर तूने इधर–उधर बताया तो में बच्ची को भी जान से मार दूंगा। उस घटना के बाद मैं बेहद परेशान हूं।

जया कि माँ ने चाइल्ड लाईन को बताया कि आज जब मेरा पति अपने काम पर गया तब मैं यहां आई हूं अभी वह काम से आने वाला है, मैं कल सुबह फिर आऊंगी।यह कह कर वह वापस चली गयी।

अरूणा दूसरे दिन सुबह चाइल्ड लाइन कार्यालय आई। चाइल्ड लाइन टीम अरूणा तथा उसकी बेटी जया को महिला थाने लेकर गई। थाना प्रभारी लक्ष्मी कुशवाहा को घटना की समस्त जानकारी दी तब थाना प्रभारी ने जया की मेडिकल जांच करवाई। रिपोर्ट में दुष्कृत्य की पुष्टि थी। आरोपी के खिलाफ 376 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कैलाश के घर से तलाशी के दौरान अश्लील किताबें बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

जया और उसकी माँ कि समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। जया कि मां को आये दिन कैलाश के सगे संबंधी कैलाश का बड़ा भाई उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बाद भी अरूणा चुप नहीं रही। अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए परिवार समाज की परवाह न करते हुये न्याय के लिये लगातार संघर्ष करती रही।

जब यह प्रकरण न्यायालय में पहुंचा तो वहां अरूणा व चाइल्ड लाइन मेम्बर से प्रतिवादी के वकील की तरफ

से कई जटिल प्रश्नों की बौछार की गई।
वकीलों की जिरह में अरूणा के चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया। लेकिन अरूणा ने सभी प्रश्नों के जवाब बड़ी धैर्यता से दिये। चाइल्ड लाइन मेम्बर नीता ओझा से चाइल्ड लाइन के कार्य के बारे में विभिन्न प्रश्न किये। आखिर चाइल्ड लाइन और अरूणा का संघर्ष अपनी मासूम बच्ची जया को न्याय दिलाने में कामयाब रहा। और अदालत ने अपना आखिरी फैसला बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। अदालत ने कैलाश मंगरे को उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दिन चाइल्ड लाइन के सदस्य व अरूणा बहुत खुश थे। लेकिन अब एक और समस्या बच्चों के पालन पोषण की आ खड़ी हुई। उनकी आर्थिक समस्या को समझते हुए चाइल्ड लाइन ने कलेक्टर स्तर पर बात की। कलेक्टर ने समस्या को समझते हुए भेल कॉलेज के प्रिंसिपल मि. हसन से चर्चा कि उन्होंने अरूणा को प्यून के पद पर कॉनट्रेक्ट बेस पर रखने के लिए मंजूरी दी। आज अरूणा को 2100 रूपये वेतन के रूप में मिलने लगे है। इस तरह चाइल्ड लाइन ने एक मासूम बच्ची को न्याय से लेकर एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया।

महिला आयोग की गतिविधियां ठप्प होने से पीड़ितों की सुनवाई नहीं

◆ यशस्वी

शिकायत मामले की विवेचना में धीमी गति से कार्य करने वाले राज्य महिला आयोग की गतिविधियां पिछले 2 माह से पूरी तरह ठप्प है। नतीजन पीड़ित महिलाओं को निराश होना पड़ रहा है।
प्रताड़ना की शिकार महिलाएं न्याय पाने के लिए जब राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाती है तो वहां भी उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगती है जिसे 2 माह से आयोग केवल प्रकरण पंजीयक की ही भूमिका निभा रहा है। प्रकरणों को निराकृत कब किया जायेगा यह आयोग को भी जानकारी नहीं है। गत 23 मार्च को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. सविता इनामदार के साथ साथ अन्य सदस्यों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है।
यहां तक कि इन पदाधिकारियों के साथ साथ उनके निज सचिवों और चपरासियों को भी जाना पड़ा। अब आयोग के पास केवल सरकारी कर्मचारी ही रह गये हैं। पूर्व में दर्ज प्रकरणों के फरयादी इस आशा से आयोग में आते हैं कि शायद अब उनकी सुनवायी हो जाए परन्तु यहां उन्हें आश्वासन भी देने वाला कोई नहीं है।
यहां मौजूद शैल श्रीवास्तव ने भी फरवरी में ही कार्यभार संभाला है, इसलिए अभी तक उन्हें आयोग की पूर्व की कार्यप्रणाली और योजनाओं की जानकारी नहीं है।
सुश्री श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक चुनाव आचार संहिता के कारण नई अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पायी और न सदस्यों की अब पूर्व अध्यक्ष ने जो अनुशंसाएं की हैं वे उनकी अलमारी में बन्द है।

राज्य महिला आयोग की निष्क्रियता का आलम यह है कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नागरिकों को दी जाने वाली मामूली जानकारियां भी वहां उपलब्ध नहीं हो पाती समस्याओं का अमली जामा पहने इस आयोग के पास वर्तमान में प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है। आयोग की लचर कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जासकता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ जितने मामलों का निराकरण नहीं किया गया उससे कहीं अधिक मामले लंबित है।

वर्ष	पंजी.प्रकरण	निराकृत	लंबित
98–99	376	108	288
99–2000	985	170	725
00–01	1149	437	712
01–02	1505	572	933
02–03	1935	818	1117

□□□

कविता

औरत की जिन्दगी

◆ राज लक्ष्मी पाराशर

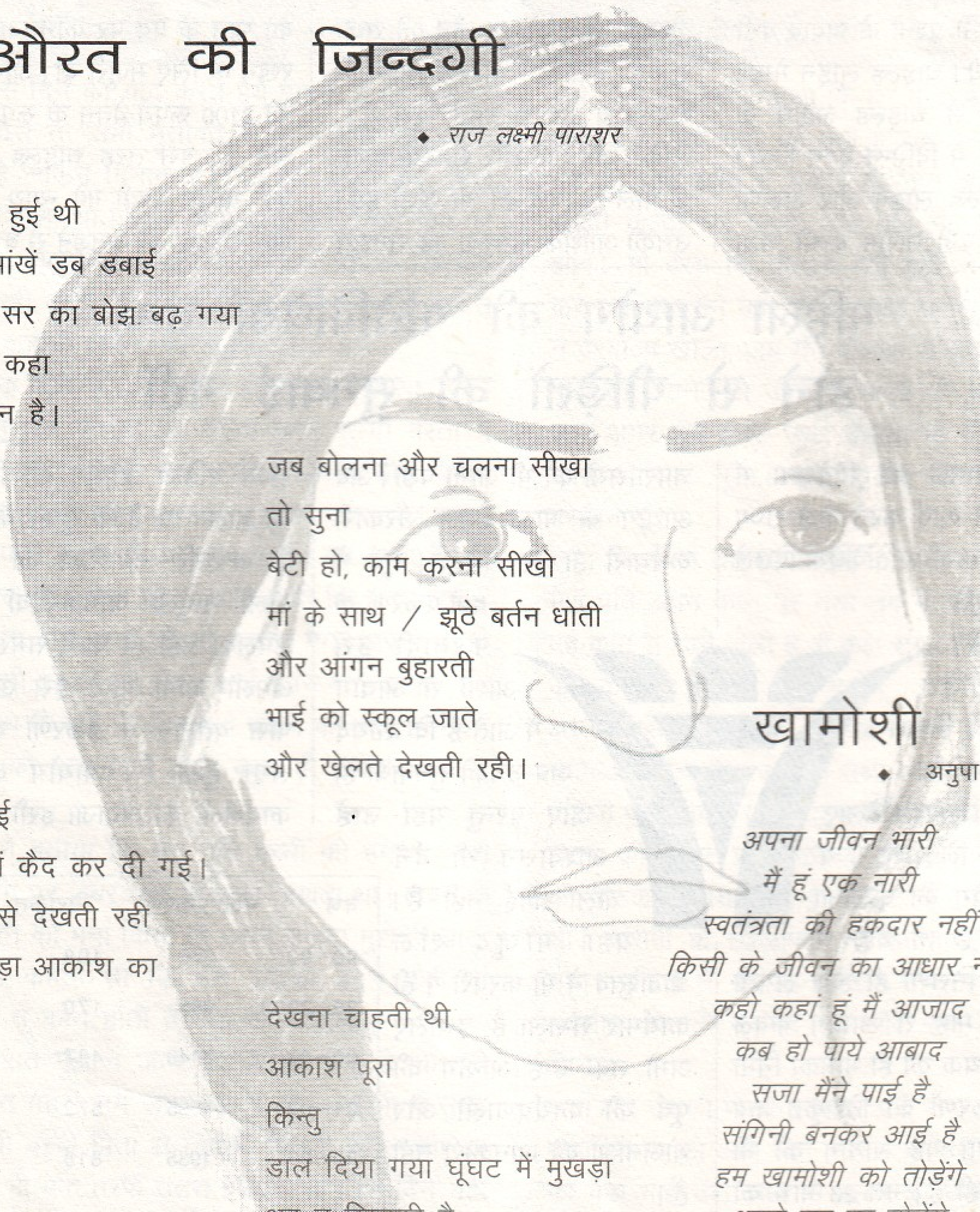

जब पैदा हुई थी
मां की आंखें डब डबाई
पिता के सर का बोझ बढ़ गया
लोगों ने कहा
पराया धन है।

जब बोलना और चलना सीखा
तो सुना
बेटी हो, काम करना सीखो
मां के साथ / झूठे बर्तन धोती
और आंगन बुहारती
भाई को स्कूल जाते
और खेलते देखती रही।

जवान हुई
तो घर में कैद कर दी गई।
खिड़की से देखती रही
एक टुकड़ा आकाश का

देखना चाहती थी
आकाश पूरा
किन्तु
डाल दिया गया घूंघट में मुखड़ा
अब न खिड़की है
न आकाश का टुकड़ा

खामोशी

◆ अनुपा

अपना जीवन भारी
मैं हूं एक नारी
स्वतंत्रता की हकदार नहीं
किसी के जीवन का आधार नहीं
कहो कहां हूं मैं आजाद
कब हो पाये आबाद
सजा मैंने पाई है
संगिनी बनकर आई है
हम खामोशी को तोड़ेंगे
अपने दम पर तोड़ेंगे
नाता ऐसा जोड़ेंगे
हरगिज अब न छोड़ेंगे

किताब से

घरेलू हिंसा के खिलाफ

रिकी भट्टाचार्या

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने बास या मित्र से क्रोधित एक पुरुष उनसे हाथापाई कर सकता है? नहीं क्योंकि उसे भय रहता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर भी उनका हाथ उठ सकता है। लेकिन घरों में पत्नी पर हाथ उठाने में उसे यह भय नहीं रहता है–यह कहना है रिंकी भट्टाचार्य का जिनकी पुस्तक बिहाइंड क्लोज डोर्स का लोकापर्ण पिछले हफ्ते ही हुआ है। अपने निजी जीवन में घरेलू हिंसा का शिकार रही रिकी की यह किताब न सिर्फ दिल की झकझोरने वाली घटनाओं का दस्तावेज है बल्कि इसके जरिये उन्होंने घरेलू हिंसा पर रोकथाम के लिए एक मार्ग दिखाने की भी कोशिश की है। वह कहती हैं कि 'अक्सर लोग दहेज समस्या पर बात करते मिल जाएंगे, लेकिन यह शायद ही किसी को अंदाजा हो कि दहेज उत्पीड़न के प्रत्येक मामले की तह में घरेलू हिंसा का काला अध्याय छिपा होता है। घरेलू हिंसा के लंबित विधेयक पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब भारत के लाखों घरो में यह समस्या विद्यमान है। इसके प्रति आंख बंद किए रखने की एक वजह शायद यही है कि घरेलू हिंसा को महत्वपूर्ण समस्या माना ही नहीं गया है। एक तरफ एड्स और कैंसर जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलने के लिए कई–कई घराने सक्रिय हैं। वहीं घरेलू हिंसा के निदान के कोई भी आगे नहीं आ रहा है।

निजी मामला नहीं घरेलू हिंसा

रिकी के मुताबिक घरेलू हिंसा के प्रति इस हीलाहवाली का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इसे पति पत्नी के बीच का निजी मामला माना जाता है। यहां तक की पीड़िता के अभिभावक या अन्य नाते रिश्तेदार भी इसी मान्यता के चलते इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरे विकल्पों और सुरक्षा की भावना के कारण घरेलू हिंसा की शिकार महिला भी चुपचाप ज्यादतियां बर्दाश्त करती है। ऐसे में घरेलू हिंसा की दर और बढ़ जाती है। ब्रिटेन में जहां एक बच्चे की मां को घर परिवार ही नहीं बल्कि सरकारी सहायता में भी वरीयता दी जाती है। वह घर पर रहती है लेकिन यदि पुलिस को घरेलू हिंसा का एक भी साक्ष्य मिल जाए तो पति को सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। इसके विपरीत भारत में महिलाओं के शिक्षित, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के बावजूद उनके प्रति दोयम दर्जे का बर्ताव जारी है। पुरुष कभी अपने अहं तो कभी अपने सामाजिक रुतबे की आड़ में मारपीट करते रहते हैं।

असुरक्षा का भाव

घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में पीड़ित महिला चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। उसे लगता है कि इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का मतलब सिर से छत का नहीं रहना होगा। आम भारतीय महिलाएं ही क्यों जीनत अमान, ऐश्वर्य राय सरीखी सशक्त एवं सर्मथवान महिलाओं ने भी इसके प्रति मुंह न खोलना उचित समझा। रिंकी बताती हैं कि मेरे अपने मामले ही में मुझे अपने परिवार से कोई खास मदद नहीं मिली। वह तो राखी मेरी मदद को आगे आई और मैं उनके साथ पुलिस के पास गई। अगर उस वक्त मैं भी हिम्मत हार जाती और अपने पति की ज्यादतियों के खिलाफ खड़ी न होती तो शायद मैं आत्महत्या ही करती। यह तो अच्छा है कि भारत के बड़े शहरों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पुलिस सहित अन्य सामाजिक संगठन इसके खिलाफ मदद को आगे आने लगे हैं।

समस्या का निदान

बकौल रिंकी के इस समस्या के निदान के तमाम पहलु है। सर्वप्रथम शोषित और उसके बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे महिला के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। निदान के तीसरे चरण के तहत शोषित महिला के लिए काउंसिलिंग की व्यवस्था हो। इसके अलावा जब तक पीड़ित महिला का जीवन एक बार फिर से व्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक उसे सरकारी मदद मिलनी चाहिए। इसके अलावा घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता तो फैलानी ही चाहिए। उसे निजी मामला समझ आंख नहीं बंद कर लेना चाहिए।

साभार : दैनिक जागरण

कानून आपके साथ

कहीं आप घरेलू हिंसा तो नहीं सह रहीं

◆ समीक्षा पाठक

औरतों के साथ हिंसा के कई रूप होते हैं परन्तु सभी तरह की हिंसा में एक तथ्य जो सामने आता है वह यह है कि अधिकतर स्थितियों में औरतें आदमी के हाथों हिंसा की शिकार होती है। वे पहचाने हुए आदमियों के हाथों पिटती हैं सताई जाती हैं, बन्द रखी जाती है या उन्हें धमकाया जाता है। अक्सर यह सब औरतों के साथ उनके घरों में होता है जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है।

महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति की गई हिंसा में प्रमुख है। स्त्रियों को मारना–पीटना उनको जलाना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उनके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना आदि प्रमुख है। यह अपराध है जिनके लिये कानून के मुताबिक सजा हो सकती है।

घरेलू हिंसा दीवानी (सिविल) तथा फौजदारी दोनों रूपों में अन्याय है। हालांकि ऐसा कोई वैधानिक कानून नहीं है जो घरेलू हिंसा के प्रश्न को लेकर बना हो पर औरतों के खिलाफ हिंसा एक दीवानी अपराध है। अदालतों ने ऐसे कई उपाय विकसित किये हैं जिससे की घरेलू हिंसा का समाधान हो सके।

यह रोजमर्रा जिन्दगी की एक सच्चाई है कि पूरी दुनिया में बहुत सी औरतें घरेलू हिंसा की शिकार है, पत्नी के साथ मारपीट की बात जाति और धर्म के भेदभाव से प्रभावित नहीं है–यह औरतों के साथ होने वाली एक आम घटना है। इसे मर्दों के औरतों को दबाकर रखने का हिंसात्मक प्रदर्शन कहें या पितृसत्तात्मक समाज में रहे पले बड़े आदमियों के रवैये की झलक औरतों के जीवन का एक कड़वा सच है।

कानून के अनुसार स्त्रियों को दो तरीके से राहत और हिफाजत दी जाती है। पहला तरीका है दीवानी उपायों का जो कि औरतों को हिंसात्मक पति से अलग रहने को अधिकार, घरेलू हिंसा से मुक्त होने का अधिकार आदि देता है। दूसरे उपाय के तहत फौजदारी उपाय है जैसे मुकदमा दायर करना क्रूरता गहरी चोट पहुंचाने और गलत तरह से कैद करके रखने के लिये जुर्माना आदि।

दीवानी अदालत के उपाय

महिलायें वैवाहिक घर में रहने का अधिकार जैसे उपायों का प्रयोग कर सकती है। परन्तु फौजदारी उपायों का प्रयोग उसी समय अधिक होता है जब पति पत्नी में संबंध हद से ज्यादा बिगड़ चुके हो।

भारतीय दण्ड संहिता में अपराधों को अवेक्षणीय तथा गैर अवेक्षणीय में बांटा गया है।

यदि कोई अपराध अवेक्षणीय की श्रेणी में आता है तो पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है। गैर अवेक्षणीय अपराधों में गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट का वारंट होना जरूरी है।

यदि महिला हिंसा के कारण घायल होती है तो यह अवेक्षणीय अपराध है।

जब महिला यह पहचान ले कि उनके खिलाफ हिंसा की गई है एवं वह फौजदारी की शिकायत चाहती है तो उसे अपराध की शिकायत थाने में लिखवानी होगी। साधारणतः पुलिस छानबीन करती है परन्तु अगर ऐसा नहीं करने का निर्णय लेती है तो प्रताड़ित स्त्री खुद फौजदारी का मुकदमा दायर कर सकती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट पुलिस को छानबीन करने का आदेश देगा और अपने सामने रिपोर्ट पेश करने को कहेगा।

कानून के अनुसार पति और उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, पत्नी को गहरी चोट पहुंचाना, दहेज संबंधी अपराध या दहेज मृत्यु आदि की स्थिति में पति तथा उसके रिश्तेदारों को अपराधी करार करके सजा दी जाती है।

यदि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाये तो भारतीय दण्ड संहित के अन्तर्गत यह एक दंडनीय अपराध है।

यदि किसी औरत को किसी तरह की सम्पत्ति को लेकर परेशान किया जाता है या उसका पति या उसके परिवार को पैसा या सम्पत्ति देने को जबरदस्ती की जाती है तो यह एक अपराध है।

1986 कानून के अनुसार अगर किसी औरत की मृत्यु जलने से चोट के कारण या अन्य किसी ऐसी अस्वाभाविक परिस्थिति में हो और पति या उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया हो और उसे सताया गया हो तो पति के

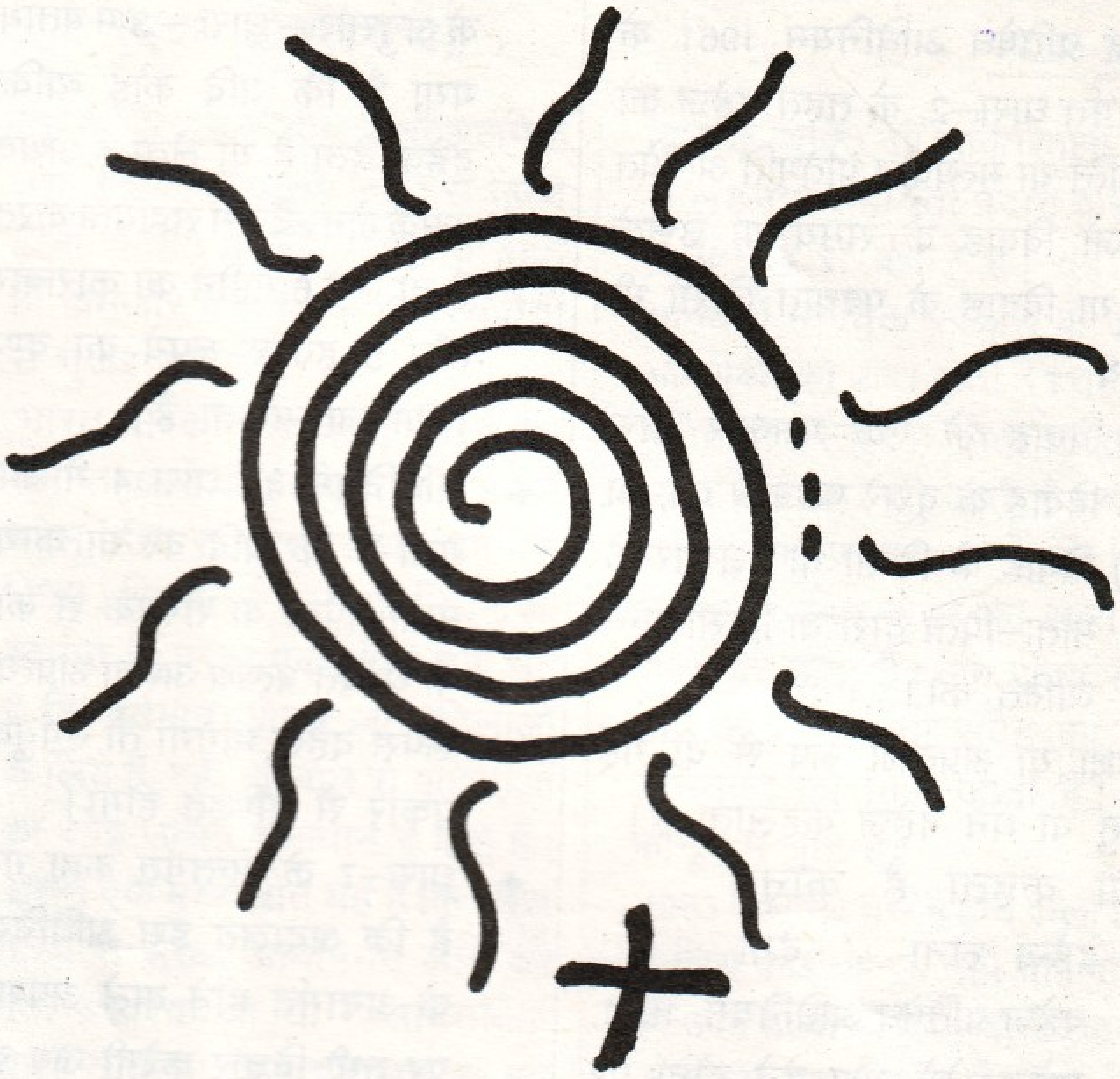

लिये सात साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। यही सजा उसके परिवार वालों के लिये भी हो सकती है।

यह बहुत जरूरी है कि सब ही सताने वाले पुरूष को जिन में पति शामिल है – औरतों के खिलाफ अपराधों के लिये जवाबदेह बनाया जाये और उन्हें सजा मिले तभी औरतों के प्रति हिंसा को एक गंभीर अपराध माना जायेगा और भविष्य में हिंसा पर कुछ अंकुश लगेगा।

वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता–पिता के लिये लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है।

जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, कुलीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्व, महंगी शिक्षा, सामाजिक प्रथा एवं झूठी शान आदि के कारण दहेज लेना व देना दोनों प्रचलित हो गये हैं।

दहेज के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को अनेक प्रकार की यातनायें दी जाती है। इस कुप्रथा के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाना पड़ा है। दहेज के लिये स्त्रियों को जला देना, जहर देकर उनकी हत्या कर देने जैसे समाचार आये दिन पत्र पत्रिकाओं में सुर्खियों पर रहते हैं।

दहेज ने ही बालिका वध, पारिवारिक विघटन, ऋण ग्रस्त निम्न जीवन स्तर, बेमेल विवाह, अनैतिकता, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि मानसिक एवं सामाजिक बीमारियों को जन्म दिया है।

आज दहेज के कारण ही कई परिवारों में पुत्री के जन्म को अपशकुन माना गया है।

दहेज क्या है ?

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा–2, के तहत दहेज को सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय –

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई वस्तु या धन दहेज कहलाता है।

क्या कहता है कानून

1. दहेज लेना / देना

+ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, दहेज लेने और देने दोनों पर प्रतिबंध लगाता है।

+ विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार, वस्तुयें धन आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में मांगे जाते हैं, चाहे वह वर पक्ष द्वारा मांगे जायें, अथवा कन्या पक्ष द्वारा दिये गये है। वे सब दहेज के अन्तर्गत आयेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने का ऐसा कोई समझौता गैर कानूनी एवं दण्डनीय होगा। यदि इस कानून के विरूद्ध कोई दहेज दिया गया है तो वह पत्नी की सम्पत्ति मानी जायेगी।

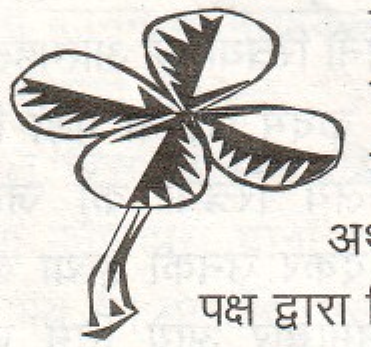

+ इस अधिनियम की अन्य धाराओं के अनुसार – धारा – 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है अथवा इसके लेन–देन में सहायता करता है तो उसे 6 महीने का कारावास और 5 हजार रूपये का दण्ड दिया जा सकता है।

+ अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि यदि वर या कन्या, माता–पिता या संरक्षक से कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे दहेज मांगेगा तो उपयुक्त प्रकार से दण्डित होगा।

+ धारा–7 के अन्तर्गत कहा गया है कि अदालत इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर तभी विचार करेगी जब इस बारे में लिखित में शिकायत पेश हो, शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में की जाए, तथा शिकायत दहेज के लेने अथवा देने के एक वर्ष के भीतर ही हो जाये।

+ शादी के समय मिले उपहारों की सूची बनाना कानूनन आवश्यक है।

+ दहेज प्रतिषेध (वर और वधु को दिये गये उपहारों की सूचियां रखना) नियम, 1985 के अन्तर्गत शादी के समय या शादी के बाद जल्द से जल्द उपहारों की सूची बनाई जानी चाहिये। वधु को दिये गये उपहारों की सूची वधू को रखनी चाहिए तथा वर को दिये गये उपहारों की सूची वर को रखनी चाहिए।

+ सूची में उपहार का संक्षेप में विवरण उसकी कीमत, उपहार देने वाले का नाम आदि होने चाहिये। उपहार देने वाला व्यक्ति यदि वर/ वधु का रिश्तेदार हो तो क्या रिश्ता है। यह भी स्पष्ट हो तो अच्छा है।

+ सूची पर वर/वधु दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिये या अंगूठे का निशान होना चाहिये।

दहेज के लिये प्रताड़ना या क्रूर व्यवहार का मतलब

+ इस कदर, जानबूझ कर औरतों को मारना या सताना कि उसकी जान को खतरा हो, उसके शरीर के अंगों को या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो।

+ किसी औरत को अगर किसी तरह की धन या सम्पत्ति लाने के लिये उसे परेशान किया जाये तो उसे भी क्रूरता का अपराध मान जायेगा। इसके लिये कानून सजा देता है।

+ क्रूरता का मतलब सिर्फ पीटने से ही नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यवहार करे जिससे औरत को मानसिक रूप से हानि पहुंचे या वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाये तो यह कानून अपराध है और इस प्रताड़ना के खिलाफ आप आरोपी को कोर्ट तक ले जा सकती हैं।

□□□

चुप है लेकिन ये न समझो हम सदा के हारे हैं राख के नीचे अभी भी जल रहे अंगारे हैं।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम — 2002

(एक विश्लेषण)

◆ नीलम तिवारी

घरेलू हिंसा एक अत्यंत प्राचीन सामाजिक समस्या है, परन्तु इस की गंभीरता एवं प्रभाविकता की पहचान ज्यादा पुरानी नहीं है। आज के समय में लोगों में इस समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है तथा लोग इस समस्या को गंभीर भयानक व जानलेवा समझ रहे हैं। अतः अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामाजिक सम्पत्ति से इस समस्या के लिए कुछ अच्छे व नये समाधान सामने आयेंगे। यह सचमुच एक अचंभित तथ्य है कि आज महिलायें महत्वपूर्ण हैं, शक्तिशाली हैं, तथा पुरुष की जिन्दगी में एक अर्थपूर्ण अशदान भी प्रदान करती हैं। परन्तु फिर भी महिलायें हीनता, यातना व शोषण का शिकार हैं। अपनी जिन्दगी में विभिन्न प्रकार के चरित्र को जीवित रखते हुये महिलायें हमेशा अभद्र व्यवहार की शिकार होती रही हैं, अब यह समाज का कर्त्तव्य है कि वह महिलाओं के साथ पक्षपात को जड़ से उखाड़कर फेंक दे तथा परिवार में एक समान व्यवहार का पालन करें।

विभिन्न सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह महिलायें जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं तथा इस अपमानित परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाती हैं, बहुतों के साथ और ज्यादा हिंसा होती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर वह अपनी परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश करती हैं तो घरेलू हिंसा की बहुत से प्रकरण की रिपोर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि पीड़ित महिलायें अपने परिवार के विरूद्ध रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। यह सारी परिस्थितियां यह दर्शाती है कि घरेलू हिंसा का विषय दूसरी हिंसात्मक समस्या से अलग है तथा इसका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिये क्योंकि महिलायें बहुत ही कमजोर व भयानक परिस्थितियों से गुजर रही हैं।

भारत सरकार ने घरेलू हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से संसद में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम पेश किया। सिद्धांततः इस अधिनियम का स्वागत है, परन्तु एक योग्य तर्क यह है कि वर्तमान कानून जो महिलाओं के लिये हैं, वही मुश्किल से महिलाओं को कोई उचित समाधान दे पाते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम लाने की क्या आवश्यकता थी ? आपराधिक न्याय व्यवस्था द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता था क्योंकि अपराधिक न्यायिक व्यवस्था में तीन महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो कि अपराधिक मामलों को परिचालित करते हैं।

1. भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, जो अपराध को श्रेणीबद्ध करता है व दण्ड प्रदान करता है।
2. अपराधिक प्रक्रिया संहिता — जो अपराध के लिये जांच पड़ताल व न्यायिक निर्णय का निर्धारण करता है।
3. साक्ष्य अधिनियम — मामले की पड़ताल के दौरान साक्ष्यों के लिये नियमों का निष्पादन करता है।

अपराधिक मामलों में राज्य अभियोजक होता है तथा अभियुक्त बचावकर्ता होता है। एक व्यक्ति जो कि शक्तिहीन है, वह शक्तिशाली राज्य से लड़ रहा होता है, तब साक्ष्य अधिनियम व अपराधिक प्रक्रिया संहिता एक ऐसे शस्त्र हैं, जो कि एक व्यक्ति को शक्तिशाली राज्य से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, व अन्याय से बचाते हैं। यह सारी सुविधायें न्यायिक परीक्षण के दौरान अभियुक्त को प्राप्त होती हैं। यही एक बुनियादी प्रस्ताव है, जहां अपराधिक न्यायविधि ठहर सी जाती है। व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिये, अपराध साबित करने का सारा भार राज्य पर होता है। जब राज्य साक्ष्य नहीं जुटा पाता तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिल जाता है। यही कानून में त्रुटि है।

1983 के पहले घरों में होने वाली हिंसा के लिये कोई कानून नहीं था। पतियों को आम हत्या के लिये दोषी ठहराया जाता था, आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का जिम्मेदार माना जाता था, व घायल करने या कैद रखने जैसी बातें थी। परन्तु आम कानूनों में ऐसी कोई विशेष बात नहीं रखी गई, जिससे कि महिलाओं को कुछ लाभ मिलता है। एक महिला के लिए यह साबित करना कि उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया, बहुत मुश्किल है। बन्द दरवाजों के पीछे किये गये कार्यों के लिये साक्ष्य जुटाना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरी बात यह है कि जब तक गंभीर चोट न हो तब तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता केवल नियमित कार्यवाही ही करती है। महिला एवं बच्चों को छोटी चोटों व मानसिक परेशानी के लिए कोई भी हल प्राप्त नहीं है।

इस समस्या के समाधान के लिये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा—498—ए और 304 बी को जोड़ा

गया। 498–ए के अनुसार पति या पति के रिश्तेदार अगर महिला को प्रताड़ित करते हैं तो उनको जुर्माना व तीन साल का कारावास दिया जायेगा। इस 498–ए के उद्देश्य में कूरता का अभिप्राय है –

1. महिला को आत्म हत्या के लिये प्रेरित करना, गंभीर घायल करना, महिला की जिन्दगी को खतरा पहुंचाना और गंभीर मानसिक प्रताड़ना प्रदान करना।
2. महिला को इस तरह से परेशान करना कि महिला या उसके संबंधी को धमकाना, कोई गैर कानूनी मांग करना या महिला व उसके संबंधियों को सम्पत्ति की मांग करना। पहले इस धारा का प्रयोग केवल दहेज प्रताड़ना वाले वादों में किया जाता था। लेकिन धारा 498 अ में दहेज को ही कूरता नहीं माना गया है। इसमें मानसिक कूरता के लिये भी प्रयोग की जाती है। यह धारा महिलाओं के साथ रोज होने वाली हिंसा को रोक सकती है। अगर न्यायालय व पुलिस गंभीरता से घरेलू हिंसा को रोके व सही दिशा में कार्य करें तो भी सीमा में बंधे होने के बावजूद हिंसक पतियों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

ज्यादातर यह होता है कि पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं करती, जब तक कि केस दहेज प्रताड़ना का न हो। परन्तु अब आंदोलनों के द्वारा व पुलिस के साथ समन्वय के बाद अब पुलिस धारा 498–अ को घरेलू हिंसा में भी प्रयोग करने लगी है। यह एक छोटी सफलता है उन लोगों के लिये, जो घरेलू हिंसा के लिए कानून बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दहेज की अस्पष्ट मांग को भी विशुद्ध शिकायत में जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि पत्नी को पीटना व बदनाम करना भी दहेज के लिये ही किया जाता है। लेकिन वाद न्यायालय में ठहर नहीं पाता व पति को अभियोजन से छुटकारा मिल जाता है। दूसरे शब्दों में पुलिस के घर यह अशुद्ध प्रभाव है कि दहेज से संबंधित बात ही अपराध है तथा दहेज प्रथा रोकने से भी महिलाओं पर हिंसा रूकेगी।

दूसरी समस्या अपराधिक न्यायिक व्यवस्था में यह है कि केस रजिस्टर्ड अपराध घटने के बाद किया जाता है, परन्तु घरेलू हिंसा में एक महिला को उस वक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है जब वह अपने घर में कैद है व अपने ऊपर प्रहार करने वालों के साथ रह ही है।

इसीलिये एक विशेष कानून की आवश्यकता आ पड़ेगी जो कि घरेलू हिंसा में महिला को उसके घर में सरुक्षा प्रदान करें। अतः संसद ने घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम के द्वारा महिलाओं को उपचार प्रदान करने की कोशिश की है।

एक अन्य अध्ययन द्वारा यह बात सामने आई है कि दीवानी उपचार बहुत सी व्यक्तिगत विधियों में है, जो कि केवल विवाह व विवाह विच्छेद जैसे कि तलाक व न्यायिक अलग के लिये ही है। दूसरी दीवानी उपचार तलाकशुदा महिलाओं के लिये यह है कि जिन्हें खर्चा मिलता रहे। यह बात जानने योग्य है कि बहुत सी परिस्थितियों में महिला तलाक नहीं चाहती तथा वैवाहिक संबंध को बनाये रखना चाहती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि घरेलू हिंसा केवल विवाह संबंधों पर आधारित नहीं है, यह बच्चों, बुर्जुग अभिभावकों, पति पत्नी जैसे रिश्ते वाले लोगों, ससुराल पक्ष वालों तथा सभी रिश्तेदारी पर आधारित है। अतः घरेलू हिंसा वैवाहिक बलात्कार, बच्चों से गलत व्यवहार को हमारी विविध व्यवस्था में नहीं जोड़ा गया। इसीलिये महिलाओं व बच्चों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग से एक कानून की आवश्यकता आ पड़ी।

अतः जो अधिनियम लाया जा रहा है वह दीवानी, व विविध उपचार है। यह अधिनियम महिलाओं को बहुत ही गहरी अपमानित परिस्थिति से निपटने में मदद प्रदान करेगा। ये महिलाओं के लिए न केवल एक उपकरण है अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि महिलाओं के लिए समानता का अवसर भी प्रदान करता है। यह अधिनियम महिलाओं को दीवानी व अपराधिक दोनों प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। महिला चाहे तो अपराधिक मामला दर्ज करे या केवल सुरक्षा के लिये आवेदन कर सकती है। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना आवश्यक है जो कि निम्न हैं–

1. घरेलू हिंसा का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व यौन हिंसा है।
2. एक नया तथ्य जोड़ा गया है, जिन महिलाओं के पास विवाह का प्रमाण नहीं होता उन्हें भी सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये।
3. सुरक्षा आदेश घर में रहने के लिए आर्थिक उपचार तथा बच्चों की आंशिक सुरक्षा। सुरक्षा आदेश की अव्हेलना एक गैर कानूनी अपराध माना जायेगा।
4. सुरक्षा आदेश का पालन 72 घंटों के अन्दर करने के लिये सुरक्षा अधिकारी बाध्य होंगे।
5. यह आदेश सूचक कर्त्तव्य होगा कि इस विविध की सूचना महिला के पास होना उसका अधिकार है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम यह मानता है कि महिला के साथ ज्यादातर हिंसा उसके अपने घर में होती है। परन्तु घर में महिला की स्थिति ज्यादातर असामान्य होती है। इससे महिलाओं के लिए कठिनाई भी उत्पन्न होती है कि वो परिवार वालों के विरूद्ध रिपोर्ट

करें।

विवाह विच्छेद का कलंक महिला पर ही आता है। यह विश्वास है कि महिला की सही जगह उसके पति के घर है तथा पालकों द्वारा महिला को यही सिखाया जाता है कि किसी भी अवस्था में वह ससुराल में ही रहे। जबकि भौतिक तर्क यह है कि शासन को महिला की इस परिस्थिति में सुरक्षा करनी चाहिए व उसके पति के घर में समान अधिकार दिलाना चाहिये। यह सभी तथ्य मिलकर सर्वसम्मति से एक जगह इकट्ठे हो गये तब केन्द्र सरकार का संसद में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम गर्व प्रदान करता है, परन्तु यह गर्व भयभीत भी करता है क्योंकि यह अधिनियम एक सही मार्गदर्शन में नहीं है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की सही परिभाषा ही नहीं है। इस अधिनियम द्वारा घरेलू हिंसा तब मानी जायेगी जबकि पति पत्नी के बीच आक्रमण हो या पीड़ित व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय बना दी जाये कि उसे उपचार की आवश्यकता पड़े।

क्रूरता को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। बल्कि अभ्यासगत प्रहार शब्द का प्रयोग किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि कभी कभार महिला को पीटना वैध है। अधिनियम कूर्रता व दयनीय शब्द को भी परिभाषित नहीं करता। यह अधिनियम एक प्रकार से एक मज़ाक है क्योंकि यह घरेलू हिंसा की जो परिभाषा देता है वह संतुष्ट नहीं करती। यह अधिनियम केवल अभ्यासगत प्रहार की बात करता है। तथा केवल एक बार किये गये शारीरिक प्रहार की बात नहीं करता। यह अधिनियम दत्तक पुत्रियों व विधवाओं को भी नजर अंदाज करता है। यह बात चुप्पी में ढंक जाती है कि इस अधिनियम में देश की लाखों महिलाओं के लिये बहुत सी बातों को छोड़ दिया गया है। इस अधिनियम में छिटपुट मारपीट व छुट्टी देने वाली विस्तुत पदार्थों को नहीं रखा गया है, जो कि अभ्यासगत प्रहार जितने ही खतरनाक हैं। इस अधिनियम द्वारा महिला की दयनीय दशा भी अस्पष्ट व संदेहपूरक है। यह अधिनियम विवाह के अलावा के रिश्तों को जानने में भी असफल है। इस अधिनियम में उन महिलाओं के लिये कोई विविध नहीं है, जिनके पास विवाह के प्रमाण नहीं होते तथा केवल इस कारण वे न्यायालय तक नहीं जा पाती हैं व उनको कोई उपचार भी नहीं मिलता। यह अधिनियम महिलाओं के उन अधिकारों के बारे भी चुप है, जिसमें कि उनको यह सुरक्षा ही प्राप्त नहीं है कि पति के खिलाफ शिकायत करने के बाद वे कहां जायेंगी। ज्यादातर महिलायें हिंसक परिस्थितियों में इसलिये रहती हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहती हैं। इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि इन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिले व बच्चों की देखभाल के लिये अंशदान मिले।

अतः इस अधिनियम में कुछ बातों को जोड़ने की आवश्यकता है, जैसेः– सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उपकरण का प्रयोग करें व इस अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाये। इस अधिनियम में उन बच्चों के लिये भी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा जो कि गुनाहगार द्वारा शोषित हैं। इस अधिनियम में यह बात भी शामिल होनी चाहिये कि सुरक्षा आदेश में शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी शासन वहन करे। जब न्यायालय से सुरक्षा आदेश निकलें तो आर्थिक सहायता भी मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिये। आर्थिक सहायता से तात्पर्य प्रत्यक्ष खर्च द्वारा हानि, पीड़ित की हानि जीविका खर्च। इस अधिनियम में इस बात को भी जोड़ा जाये कि पीड़ित के साथ न्यायालय व पुलिस दोस्ताना व्यवहार करे। शीघ्रवाद का निपटारा करे। जैसे ही आवेदन प्राप्त हो, न्यायाधीश उसी वक्त सुरक्षा प्रदान करने के आदेश निकाले जब तक कार्य का संपादन हो, सुरक्षा आदेश का पालन मुल्तबी न हो। इस अधिनियम के द्वारा सेवा प्रदान करने वाले लोगों में सरकारी कल्याण कार्यालय के साथ कम से कम दो स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से महिला व बच्चों को विधिक स्वास्थ व आर्थिक सहायता मिले। सेवा प्रदान करने वालों के पास पर्याप्त साधन हों, अधिकारियों को पुलिस की उचित सहायता मिले। अधिकारियों विशेषकर महिलाओं को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिये ताकि वे घरेलू हिंसा के मामले में पीड़ित के साथ समुचित व्यवहार करें। सभी विधिक लागू करने वाले अधिकारियों जैसे न्यायाधीश सुरक्षा अधिकारी, सलाहकार, वकीलों, पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी को प्रशिक्षित होना चाहिये तथा घरेलू हिंसा के सभी पहलुओं का ज्ञान होना चाहिये। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय घरेलू हिंसा सीमित तथा घरेलू हिंसा मध्यस्थी इकाईयों का जिलेवार इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को उत्साहवर्धक सहयोग प्रदान करना चाहिये। जैसे घर, दवा व आर्थिक सहयोग।

सरकार घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम द्वारा सामने आई है परन्तु फिर भी इसमें बहुत सी खामियां हैं। लेकिन घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिये विधि अकेली जिम्मेदार नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिये समाज और परिवार को स्वयं आगे आना होगा और घरेलू हिंसा नामक सामाजिक बुराई का अंत करना होगा।

❑❑❑

खबरों में अप्रैल से मई तक की हिंसा की कुछ घटनाएं

• सत्या सिह राठौर

• झुलसती गर्मी में पत्नी को हल में जोतने वाला पति भले ही सलाखों के पीछे हो परन्तु उसने यह साबित कर दिया है कि आज 21वीं सदी में भी औरत, किसी जानवर से कम नहीं है। बोदरान्या गांव के आदिवासी घटिया ने महज शक के आधार पर अपनी पत्नी कुसुम बाई को हल में जोत दिया।

• राजधानी भोपाल के हनुमानगंज इलाके के बीचों–बीच सड़क पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और पुत्र पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। आश्चर्य तो इस बात का है कि हिंसा की इस इंतहाई घटना को अंजाम देते समय इस महिला को बचाने कोई नहीं आया। भीड़ भरे इस इलाके में क्या सभी अंधे, बहरे बसते थे। सवाल आज भी यही है क्या पशुता की हद पार करने वाले अफजल कसाई को समाज ने संरक्षण क्यों दिया।
27 वर्षीय चंदा और उसके पुत्र अलफेज को सरेआम जलाकर मारने में समाज कितना जिम्मेदार है ?

• डेढ़ वर्ष तक अपनी सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा।

• घरेलू हिसा का यह अंतहीन सिलसिला कब तक सहती रहेंगी बलिकाएं और स्त्रियां। अभी तक न जाने कितने अनगिनत बापों ने अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कृत किया है। दहेज न लाने के कारण झालावाड़ा की रहने वाली राधा पर अत्याचार करने वाला पति गोविन्दराम तोलानी ने केवल राधा पर ही अत्याचार नहीं किए पहले की तीन पत्नियों को इसी तरह प्रताड़ित करता रहा है। जलती सिगरेट से राधा के शरीर को जगह जगह दागने वाला यह शख्स अकेला इस अत्याचार में शामिल नहीं है, उसका पूरा परिवार भी इस हिंसा में उसका साथ देता था।

• इसी तरह भोपाल के ही सोनागिरी क्षेत्र में रहने वाला एक शिक्षित और संभ्रात परिवार ने तो प्रताड़ना का अनोखा खेल रच डाला। षडयंत्रकारी इस परिवार ने अपनी पुत्र वधु अश्लेषा को ऐसे चक्रव्यूह में फसाया जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। रहस्यमयी तरीके से घर में आग लगजाना और प्लेटे उड़ना, जुगना के परिवार का एक षडयंत्र था। जिसे अश्लेषा और उसके पिता सी.एस.ठाकुर ने विफल कर दिया।

• गरीबी और तंगहाली के कारण न जाने कितने माता–पिता चंद रूपयों की खातिर बेटियों को बेच देते हैं। उ.प्र. और महाराष्ट्र प्रांत में आज भी धनी बूढ़ों को बेटी बेच दी जाती है। यह समस्या जातिगत नहीं है। यह समस्या तो है गरीबी की जो मजबूर कर देती है, चंद रूपयों में बेटी बेच देने को। 11 वर्ष से 16 वर्ष तक की यह बेटियां बाद में बन जाती है, उन बूढे पतियों के 6 से 8 बच्चों की मां। आखिर कब तक चलता रहेगा महिलाओं पर हिंसा का यह सिलसिला।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में साल दर साल इजाफा हो रहा है। बीते वर्षों की अपेक्षाकृत इस वर्ष के प्रारंभिक तीन महीनों में ही महिलाओं पर करीब 13 फीसदी अपराध अधिक हुए। इनमें सर्वाधिक बढ़ोतरी अपहरण जानलेवा हमलों दहेज हत्या तथा बलात्कार के मामलों में हुई।

अपराध	वर्ष 02	वर्ष 03	वर्ष 04
हत्या	111	115	115
हत्या का प्रयास	66	53	73
शारीरिक प्रताड़ना	761	877	1009
छेड़छाड़	1845	1899	1948
अपहरण	230	72	114
बलात्कार	720	669	758
आत्महत्या	121	122	148
दहेज हत्या	123	188	155
बेचने के मामले	0	2	3
दहेज प्रताडना	4	5	19
आगजनी	15	18	21
लूट	26	39	24
मारपीट	553	654	845
जान से	1051	1039	1896
मारने की धमकी	0	0	0
	5813	6459	7305

गलती किसकी

उसे अब भी लगता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा

मेरा नाम कुलबीर कौर है और उम्र है 28 साल। पढ़ाई–लिखाई में मन न लगने के कारण मैंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पिता जी दिल्ली विद्युत बोर्ड के अवकाश प्राप्त कर्मचारी है। अपनी बिरादरी में ही शादी करने की मेरे माता–पिता की मजबूरी के कारण मेरा विवाह देर से हुआ। आखिरकार मेरे योग्य वर मिला और मेरी शादी बिना किसी मांग के सम्पन्न हो गई। मेरे माता–पिता ने अपनी ओर से दान–दहेज में कोई कसर नहीं रखी। मेरे ससुर दिल्ली पुलिस के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। वह किस पद से रिटायर हुए, इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है। शादी के बाद शुरूआती तीन महीने बड़े आराम से गुजरे। मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था। मेरे जेठ भी हमारे साथ ही रहते थे। वह कोई काम–काज नहीं करते थे। वक्त गुजरने के साथ ही उन्होंने मेरे हर काम में खामियां निकालनी शुरू कर दीं। एक दिन हम पति–पत्नी कनाट प्लेस गए। घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचने पर मेरे जेठ ने हमें गालियां देनी शुरू कर दीं। हम दोनों उस दिन उन्हें कोई जवाब दिए अंदर चले गए और भूखे ही सो गए। मेरे जेठ ने मुझसे उनके इस कृत्य पर कई बार मेरे ससुर ने उन्हें धमकाया और उत्तेजित किया जाता रहा।

हमारे अच्छे दिनों में एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता जी से तीन लाख रूपये मांग लूं ताकि वह कम्प्यूटर सेन्टर खोल सके। मैंने अपने पति को तत्काल बता दिया कि मेरे माता–पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे आपकी मांग पूरी कर सकें। इसके बावजूद मेरा पति अड़ा रहा। आखिरकार मैंने अपने चाचा से एक लाख रूपये बतौर कर्ज ले लिए। वह रकम कैसे और कहां खर्च की गई इसका पता मुझे आज तक नहीं है। मेरे पूछने पर मेरा पति अक्सर झिड़कते हुए कहता, 'अपने काम से मतलब रखो, यह सब जानने की कोशिश मत करो।'

धीरे–धीरे मेरे पति परिवार वालों के प्रभाव में आने लगे। मेरे पति को उन्होंने न जाने क्या–क्या सिखा दिया कि मुझे घर से बाहर निकाल देने की धमकियां दी जाने लगी। एक दिन मेरी भाभी मुझसे मिलने आई। मेरे पति ने उनसे कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। मेरी भाभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद मेरे पति ने मुझे मेरे मायके में छोड़ते हुए 15 दिन बाद लौटकर आने के लिए कहा, लेकिन वह पलट कर नहीं आया। मैं उससे टेलीफोन पर सम्पर्क करने की कोशिश करती। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि मैं गर्भवती हो गई थी। इसकी सूचना मैंने अपने पति को टेलीफोन पर दी, लेकिन उसने कहा कि उसे यकीन नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहां तक कि मेरी ननद ने भी इस बात पर विश्वास करने से इंकार कर दिया कि मैं गर्भवती थी। इसके बाद मेरा पति चेक–अप के लिए मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरे गर्भवती होने की पुष्टि कर दी। मेरे पति ने फौरन कहा कि मैं गर्भपात करा लूं वरना वह मुझे तलाक दे देगा। मैं उसकी किसी बात पर राजी नहीं हुई।

कुछ दिनों बाद मेरा पति मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गया और डॉक्टर से गर्भपात करने के बारे में बात की। डॉक्टर ने इंकार कर दिया। उसने मुझे वापस मेरी मां के यहां छोड़ दिया और उसके बाद टेलीफोन करना भी बंद कर दिया।

बैसाखी यानी 13 अप्रैल को मेरे पति ने फोन किया कि वह मुझे लेने आ रहा है। कुछ देर बाद उसने खुद आने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मुझे लेने भेज दिया। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, मुझे फौरन अपने पति से माफी मांगने के लिए कहा गया। मुझे माफी मांगने का कारण नहीं बताया गया फिर भी मैंने माफी मांग ली। वह गर्भपात के मुद्दे पर फिर अड़ गया लेकिन मैंने उसकी बात ठुकरा दी।

अगले पांच–छह दिन वह मेरे साथ नरमी से पेश आया। इस बीच उसने मुझे लेडी डॉक्टर के पास दुबारा जाने की खुशामद की, किन्तु जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे लगातार कई थप्पड़ मारे। डर के मारे मैं उसके साथ चली गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं गर्भपात कराना चाहतीं हूं, मैंने कहा नहीं। डॉक्टर ने हम दोनों को वापस जाने के लिए कह दिया। वापस लौटते समय उसने मुझे सड़क के बीचोबीच जबरन उतार दिया। जब मैं पैदल चलने लगी तो पीछे से उसने मुझे कई थप्पड़ मारे और स्कूटर पर बैठने का हुक्म दिया। किसी तरह हम घर वापस आ गये। घर पहुंचकर उसने हमारी शादी की अलबम फाड़नी शुरू कर दी, लेकिन मेरे ससुर ने उसे रोक दिया। अगले दिन वह मुझे फिर उसी डॉक्टर के पास ले गया। मैंने लेडी डॉक्टर को इशारे में बता दिया कि मेरे पति की बात पर कान न दे। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि मैं शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मेरा गर्भपात नहीं हो सकता। हम फिर वापस आ गए। इसके बाद मेरे पति ने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे दीवार की और धक्का दे दिया। मेरा सिर फूट गया और खून बहने लगा। कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं आया। एक हफ्ते बाद जांच के नाम पर वह मुझे फिर उसी अस्पताल में ले गया। जांच करने वाली डॉक्टर वही थी। उसने मुझे कहा कि वह मुझे ताकत का इंजेक्शन दे रही है। इंजेक्शन के बाद में अचेत हो गई। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। मैं उस नर्सिंग होम में सुबह 11 बजे गई थी लेकिन मुझे शाम 5 बजे के आस–पास होश आया। घर पहुंचने पर मेरे पति ने जेठ को बताया कि 1500 रूपये लगे। मेरे जेठ ने कहा कि यह तो महज 700 रूपये का ही काम था। मेरी ननद ने कहा 'चलो, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। जब मैं शौचालय गई तब मुझे पता चला कि मेरी ननद के कहने का मतलब क्या था।

मैंने अपनी मां को सारी दास्तान सुनाई। उसने शादी करवाने वाले रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे वापस लाने के लिए कहा। ससुरालवालों ने मुझे अपने जरूरी कपड़े भी नहीं दिए।

मेरे भाइयों ने मेरे पति के खिलाफ महिला अपराध प्रकोष्ठ में आवेदन किया। महिला पुलिस अधिकारी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं ? मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है। बिना किसी लिखा–पढ़ी के मैं वापस ससुराल भेज दी गई। एक दिन मेरे पति ने मुझे स्कूटर से धक्का दे दिया जिसकी वजह से मेरे कान और नाक से खून बहने लगा।

वह मुझे लेकर नर्सिंग होम ले गया लेकिन डॉक्टर ने पुलिस केस बताकर इलाज करने से इंकार कर दिया। उसके बाद वह मुझे सफदरजंग अस्पताल ले गया। मैं वहाँ इमरजेन्सी में दो दिन तक रही। अस्पताल में मेरे पति ने मुझ पर तलाक देने के लिए दबाव डाला। मेरे इनकार करने पर वह मुझे वहीं छोड़कर चला गया। मेरी मां मुझे लेने के लिए अस्पताल आई। मैंने उससे कहा कि वह मुझे मेरे पति के घर जाने दे लेकिन उसने मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल मेरा मामला पुलिस में है और मेरा पति अग्रिम जमानत पाने की कोशिश कर रहा है। मैं अब भी सोचती हूं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपनी ससुराल जा सकूंगी। ऐसा इसलिए होता है कि मैं रोजाना गुरूद्वारे जाती हूं और वहां जाने के बाद मेरी अंतरात्मा मुझसे ऐसा ही कहती है।

साभार : गलती किसकी

लेखिका : किरण बेदी

□□□

एक परिचय

मध्यप्रदेश महिला संसाधन केन्द्र

पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश महिलासंसाधन केन्द्र की स्थापना आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में की गई है। यह अग्रणीय पहल है। केन्द्र की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में हुई है।

लक्ष्य

महिलाओं के प्रति समतापूर्ण दृष्टि का विकास, उनकी अस्मिता का सुदृढ़ीकरण एवं इस हेतु संसाधनों का विकास करना है।

उद्देश्य

+ महिलाओं के लिये संसाधन एवं विकास केन्द्र के रूप में सेवायें प्रदान करना।
+ महिलाओं के लिए जेन्डर पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
+ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रमाणित जानकारी एवं संदर्भ उपलब्ध कराना।
+ प्रदेश तथा विकासशील देशों की महिला नीति
+ जेन्डर पर आधारित डाटा बैंक तैयार करना।
+ महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों मुद्दों पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं एवं विशेषज्ञों से नेटवर्किंग
+ महिलाओं सेसंबंधित कानून एवं न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी देना।
+ महिलाओं से संबंधित मुद्दों के अध्ययन, अनुसंधान एवं कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना उनका जेन्डर पर आधारित मूल्यांकन एवं विश्लेषण।
+ देश विदेश में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों की सांख्यिकीय स्थिति का सजगतापूर्ण चित्र प्रस्तुत करना।
+ महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का विश्लेषण।
+ न्यूज लेटर, साहित्य एवं अन्य प्रकाशन।
+ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन

रणनीति

+ समतापूर्ण दृष्टि एवं अस्मिता के सुदृढ़ीकरण के लिये बहुआयामी पहुंच।
+ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर तात्कालिक पहल।
+ हस्तक्षेप के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान।
+ महिला नीति की कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
+ कार्यक्रम एवं योजनाओं में समता–मूलक परिणामों का मापन
+ प्रत्येक कार्यक्रम को जेन्डर संवेदनशीलता से जोड़ना
+ कार्यशालाओं एवं विशेष कार्य योजनाओं का संचालन
+ नीति एवं कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

कार्य

+ संसाधन एवं विकास केन्द्र के रूप में
+ प्रशिक्षण + डाक्यूमेन्टेशन
+ नेटवर्किंग + अनुसंधान
+ विश्लेषण डाटा बैंक + प्रकाशन

सम्पर्क सूत्र

डॉ. प्रतिभा राजगोपाल
संचालक
मध्यप्रदेश महिला संसाधन केन्द्र
आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
अरेरा कॉलोनी, भोपाल
फोन – 0755 – 5279060
फैक्स – 0755 – 2464244

□□□

हमारे बारे में....

संगिनी महिलाओं का एक संदर्भ समूह है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ लैंगिकता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना है। संगिनी महिला मुद्दों पर कार्य करने के लिये कटिबद्ध है, ख़ास तौर पर एक ऐसे समाज की स्थापना के लिये, जहां समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था हो। इसके लिये हम इस संदर्भ केंद्र के द्वारा महिला मुद्दों पर शोध अध्ययन, दृष्टिकोण निर्माण, प्रकाशन व अभियान आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दों को केन्द्र में लाते हुए, ऐसे सवाल उठाए जाएं, जिनका जवाब हमारे ही इर्द गिर्द फैला हुआ है। आगामी समय में संगिनी महिला मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं, संगठनों, व स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे लोगों के लिये एक संदर्भ केंद्र बन सके।

संगिनी के कार्यों और उद्देश्यों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संगिनी महिला हिंसा को जड़ से समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है। भविष्य की रणनीति में भी संगिनी निरंतर अपने लक्ष्यपूर्ति के लिये कार्य योजना में संलग्न है। जिसके अंतर्गत महिला हिंसा व जेंडर के मुद्दों पर मध्यप्रदेश के स्थानीय समूहों के कार्यकर्ताओं को जेंडर व महिला हिंसा के प्रत्येक हिस्से पर काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने समूह में साथियों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में महिला हिंसा के खिलाफ माहौल बना सकें तथा समुदाय के संकीर्ण नज़रिये में परिवर्तन ला सकें।

संगिनी महिला हिंसा के सभी पक्षों पर सामग्री का निर्माण करेगी तथा ज्वलंत मुद्दों पर अध्ययन व विश्लेषणात्मक विवेचन का कार्य भी कर रही है, जिसके द्वारा सभी समूह एक मंच पर आकर अपनी बात कह सकें और एक साथ मिलकर महिला हिंसा की जड़ से समाप्ति के लिये कार्य कर सकें।

संगिनी समूह

Book Post

PRINTED & DESIGNED BY AADARSH PRINTERS & PUBLISHERS An ISO-9001:2000 Printing